हरियाणा राज्य बनाम हरियाणा अनिल कुमार एक और
(एस.एस. निज्जर, जे)

समक्ष एस.एस. निज्जर और एस.एस. ग्रेवाल, जे.जे.

हरियाणा राज्य – अपीलकर्ता

बनाम

अनिल कुमार - प्रतिवादी

क्रि A.N0. 1995 का 610/डीबीए

11 जुलाई, 2003

भारतीय दंड संहिता, 1860-एसएस 363,366 और 376- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872- धारा 114 (ई) - एक बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से एक नाबालिग अनपढ़ लड़की का अपहरण और बलात्कार - जन्म प्रमाण पत्र में लड़की की जन्म तिथि स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि के साथ असंगत है - ट्रायल कोर्ट ने उम्र के प्रमाण को खारिज कर दिया - बरी करना - 1872 अधिनियम की धारा 114 (ई) में प्रावधान है कि यदि कोई आधिकारिक कार्य किया गया है, तो यह प्रावधान किया गया है। यह माना जाएगा कि यह नियमित रूप से किया गया है - धारा 114 (ई) के तहत आयु अनुमान के स्पष्ट प्रमाण के अभाव में केवल इसके विपरीत स्पष्ट और ठोस साक्ष्य द्वारा ही इसे रद्द किया जा सकता है - आरोपी ठोस सबूत पेश करके जन्म तिथि साबित करने में विफल रहता है - जन्म तिथि में इस तरह की विसंगति का कोई परिणाम नहीं है - कुछ चिकित्सा साक्ष्य दिखाते हैं कि लड़की पहले यौन संभोग में लिप्त थी - उस लड़की को पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए। बलात्कारी के साथ सहमति दी है - इस तरह के व्यापक प्रस्ताव को स्वीकार करने का मतलब होगा कि यौन संभोग की आदी किसी भी परिपक्व महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता है - ट्रायल कोर्ट ने उस कष्टदायक अनुभव और शत्रुतापूर्ण माहौल को भी नजरअंदाज कर दिया है जो यौन उत्पीड़न या बलात्कार की पीड़िता को अदालत में सबूत देते समय सामना करना पड़ता है - ट्रायल कोर्ट का निर्णय पूरी तरह से दिमाग के गैर-प्रयोग से ग्रस्त है और टिकाऊ नहीं है - अभियोजन का मामला सभी उचित संदेह से परे साबित हुआ - राज्य की अपील की अनुमति दी गई। जबकि आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को खारिज कर दिया।

हरियाणा राज्य बनाम हरियाणा अनिल कुमार एक और
(एस.एस. निज्जर, जे)

यह निर्धारित किया गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के चित्रण (ई) में सन्निहित नियम अधिकतम सर्वव्यापी अनुष्ठान और गंभीर कृत्यों से उत्पन्न होता है, अर्थात सभी कृत्यों को सही और नियमित रूप से किया गया माना जाता है। दूसरे शब्दों में, इसके विपरीत स्पष्ट सबूत के अभाव में, ट्रायल कोर्ट को पीड़ित की उम्र निर्धारित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा करना चाहिए था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (ई) में निहित चित्रण का सीधा सा अर्थ है कि यदि कोई आधिकारिक कार्य किया गया साबित होता है, तो यह माना जाएगा कि यह नियमित रूप से किया गया है।

(Para 28)

आगे कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र में दिए गए पीड़ित की उम्र के स्पष्ट प्रमाण को इस आधार पर खारिज करके कानून की घातक त्रुटि की है कि यह स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट में दर्ज जन्म तिथि और पीड़ित द्वारा डॉ. रेणु अग्रवाल को दी गई उम्र के साथ असंगत था। इन विसंगतियों का कोई परिणाम नहीं था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (ई) के तहत अनुमान को केवल इसके विपरीत स्पष्ट और ठोस साक्ष्य द्वारा ही अमान्य किया जा सकता है।

(Para 29)

आगे कहा गया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सभी कारकों की अनदेखी करके कानून में गलती की कि पीड़ित के साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से साक्ष्य के केवल नकारात्मक पहलुओं पर जोर दिया है। इस तथ्य पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था कि कोई ताजा रक्तस्राव नहीं हुआ था और योनि ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दो उंगलियों को स्वीकार किया कि पीड़ित ने संभोग के लिए सहमति दी थी। ट्रायल कोर्ट द्वारा उल्लिखित सभी कारक इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पीड़िता ने डॉ रेणु अग्रवाल द्वारा अपनी चिकित्सा जांच से पहले यौन संभोग किया था। ट्रायल कोर्ट ने यह कहना पूरी तरह से अनुचित था कि पीड़िता ने सहमति दी होगी क्योंकि वह पहले यौन संभोग में लिप्त थी। इस तरह के मिथक को उन न्यायाधीशों के मानस से स्थायी रूप से तोड़ने की आवश्यकता है, जिन्हें यौन अपराध/हमले/बलात्कार से संबंधित मामलों में विचारण करने का बहुत नाजुक कार्य सौंपा गया है। इस तरह के व्यापक प्रस्ताव को स्वीकार करने का मतलब होगा कि संभोग की आदी किसी भी परिपक्व महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता है।

(Para 32)

हरियाणा राज्य बनाम हरियाणा अनिल कुमार एक और
(एस.एस. निज्जर, जे)

आगे कहा गया कि ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां कि पीड़िता का बयान बलात्कार के अवयवों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है। ट्रायल कोर्ट ने इस स्पष्ट तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि यौन हमला या बलात्कार आमतौर पर गवाहों की उपस्थिति में नहीं किया जाता है। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए कारणों को साक्ष्य की सराहना के किसी भी ज्ञात सिद्धांत के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(Para 33)

आगे कहा गया, कि विद्वान ट्रायल कोर्ट का निर्णय पूरी तरह से दिमाग के गैर-प्रयोग से ग्रस्त है। अभियोजन पक्ष के सबूतों को बिना किसी ठोस कारण के खारिज कर दिया गया है। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निष्कर्ष विकृत हैं। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निष्कर्षों में से कोई भी टिकाऊ नहीं है। अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित कर दिया है। राज्य की अपील स्वीकार की जाती है।

(Para 37)

अपीलकर्ता की ओर से सुश्री पालिका मोंगा, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा।

प्रतिवादी की ओर से राकेश नागपाल, वकील

निर्णय

एस.एस. निज्जर, जे।

1. हरियाणा राज्य ने सत्र मुकदमा संख्या 1 दिनांक 07.10.1994/25.11.1993, सत्र परीक्षण में श्री दीवान चंद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, जींद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.03.1995 के खिलाफ यह अपील दायर की है। 29.11.1994 की संख्या 22, जिसके तहत आरोपी (प्रतिवादी-यहाँ) को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 , 366 और 376 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला आंशिक रूप से बल्कु राम पुत्र सुरता राम बाल्मीकि घर निवासी के बयान पर पुलिस थाना सिटी जीन्द, जिला जीन्द में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 141 दिनांक 8.04.1993 में निर्धारित है। नंबर 3703, अर्बन एस्टेट, जिंद। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी लखविंदर कौर, उम्र लगभग 14 वर्ष, पिछले तीन वर्षों से मकान नंबर 1619 अर्बन एस्टेट, जींद निवासी नरेश कुमार के घर में घरेलू काम कर रही है। दिनांक

हरियाणा राज्य बनाम हरियाणा अनिल कुमार एक और
(एस.एस. निज्जर, जे)

07.04.1993 को प्रातः लगभग 7.30 बजे उसकी पुत्री को नरेश कुमार ने घरेलू कार्य हेतु अपने घर बुलाया। पहले उनकी बेटी दोपहर के समय घरेलू काम के लिए जाती थी। उस दिन वह घर वापस नहीं आई। जब उसकी भतीजी सेल्स टैक्स ऑफिस के पास बकरियां चरा रही थी तो उसकी भतीजी सुनीता पुत्री सोभा राम ने अपनी बेटी को नरेश कुमार की कार में बैठे देखा था। उन्होंने सुबह करीब साढ़े नौ बजे अपनी बेटी को कार में बैठे देखा था। उन्होंने कहा कि उन्हें संदेह है कि नरेश कुमार के परिवार ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर कहीं छोड़ दिया है। नरेश कुमार एक बैंक में सरकारी कर्मचारी बताया गया है। प्रासंगिक समय पर, वह ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, गोहाना में ड्यूटी पर थे। इसके बाद उन्होंने अपना घर अर्बन एस्टेट, जींद से गोहाना में स्थानांतरित कर लिया था। उन्होंने आगे बताया कि नरेश कुमार ने अपनी बेटी को कई बार अपने साथ गोहाना चलने के लिए कहा था क्योंकि वहां उसके जैसी लड़की नहीं मिलती थी। उन्होंने आगे कहा कि "हमें यह भी संदेह है कि मेरी बेटी ने अपना पुराना सूट उनके घर पर ठीक कराने के बाद बदल लिया था। यह भी हो सकता है कि वह उनके साथ चली गई हो। अब तक, मैंने अपनी बेटी को अपने स्तर पर भाईचारा में खोजा है लेकिन उसका पता नहीं लगा सका। कार्रवाई की जाए।"

3. यह बयान दिनांक 08.04.1993 को शाम लगभग 6.05 बजे डीडीआर नंबर 14 के माध्यम से दिया गया था। बलकू राम के उपरोक्त बयान को सब इंस्पेक्टर मल्कियत सिंह, प्रभारी पुलिस चौकी सिविल लाइन्स द्वारा एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन भेजा गया था। दिनांक 08.04.1994 को प्रातः 5.30 बजे आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना सिटी जीन्द में। इसकी प्राप्ति पर, ऊपर उल्लिखित औपचारिक एफआईआर, सब इंस्पेक्टर बिरसाल सिंह द्वारा दर्ज की गई है।

4. 13.04.1993 को सब इंस्पेक्टर मल्कियत सिंह को गुप्त सूचना मिली कि लड़की को सोहना शहर में किसी अनिल कुमार के साथ घूमते हुए देखा गया है। यह सूचना मिलते ही वह पिता के साथ हो लिया और सोहना पहुंच गया। उन्हें बस स्टैंड पर अनिल कुमार और लखविंदर कौर खड़े मिले। सोहना. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत लखविंदर कौर का बयान दर्ज किया गया . पुलिस ने लखविंदर कौर द्वारा बताए गए उन स्थानों का भी दौरा किया, जहां कथित बलात्कार हुआ था। साइट प्लान तैयार किया गया. लखविंदर कौर की मेडिकल जांच की गई। उसके कपड़ों का पार्सल बना दिया गया। दो स्वैब वाले एक अन्य पार्सल को डॉक्टर द्वारा

विधिवत सील कर दिया गया और मेमो एक्स.पीके के माध्यम से उसे अपने कब्जे में ले लिया गया। अनिल कुमार की मेडिकल जांच भी की गयी. जांच के दौरान लखविंदर कौर ने कहानी बताई. उसने बताया कि आरोपी अनिल कुमार उसे रास्ते में मिला। उन्होंने उसे कुंदन सिनेमा में हरियाणवी गानों का आनंद लेने के लिए कहा। वह उसके साथ थी. उन्होंने जींद के बस स्टैंड पर चाय पिलाई। चाय पीते ही उसे चक्कर आ गया। आरोपी उसे सफीदों रोड की पुलिया के पास ले गए। वह अर्धबेहोश हो गयी. वह उसे खाई में ले गया और उसके साथ "बुरा कृत्य" किया। फिर उसे बस स्टैंड, जींद लाया गया। फिर, उसे चाय परोसी गई। फिर वह उसे अर्धबेहोशी की हालत में गुड़गांव ले आया। उसे बहादुरगढ़ के रास्ते सोहाना ले जाया गया। वह भी बस में बेहोश पड़ी रही. अनिल कुमार उसे अपनी मौसी (बुआ) के घर ले गया। वह उसे एक अलग कमरे में रखता था और उसके साथ 'बुरी हरकतें' करता था। एक दिन जब वे सोहाना के बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे, तो पुलिस ने उनके पिता के साथ उन्हें पकड़ लिया। उनकी मेडिकल जांच करायी गयी. जांच पूरी होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट तैयार की गई और अनिल कुमार के मुकदमे के लिए अदालत में पेश की गई।

5. दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की गईं। यह मामला विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जींद द्वारा दिनांक 11.11.1993 के आदेश द्वारा सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया था।

6. आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 , 376 के तहत तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, जींद के श्री एमसी अग्रवाल द्वारा दिनांक 25.11.1993 के आदेश के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था । उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का दावा किया।

7. अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों की जांच की। पीडब्लू1, डॉ. धन कुमार चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी, सफीदों ने शपथ पर कहा कि 14.04.1993 को, उन्होंने अनिल कुमार की चिकित्सकीय जांच की थी। उन्हें अनिल कुमार संभोग क्रिया के लिए उपयुक्त लगे. इस गवाह से अभियुक्तों द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया। पीडब्लू2, हाकम सिंह, सांख्यिकी सहायक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, कुरूक्षेत्र ने कहा कि वह जिला कुरूक्षेत्र का 1978 का जन्म रजिस्टर लेकर

आये थे। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुरूक्षेत्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र एक्स.पी.बी. प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षरों की पहचान की क्योंकि वह डॉ. टीआर गिरधर की लिखावट से परिचित थे, जिन्होंने प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि प्रमाणपत्र उनके द्वारा लाए गए रिकॉर्ड का सच्चा प्रतिनिधित्व है। उन्होंने आगे बताया कि ग्राम गंगहेरी निवासी बल्कु की पुत्री लाखो देवी की जन्मतिथि Ex.PB में 30:09.1978 बताई गई है। जिरह में उन्होंने कहा कि पेज 99 पर दिखाई देने वाली मूल प्रविष्टि उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने न तो लाखो देवी को देखा है और न ही वह उन्हें जानते हैं. पीडब्लू 3, डॉ. रेनू अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, जींद ने कहा कि 13.04.1993 को रात लगभग 9.20 बजे उन्होंने लखविंदर कौर उर्फ गुड्डी पुत्री बल्कु राम, उम्र 16 वर्ष, महिला बाल्मिकी, निवासी गंगहेरी देखभाल 3703 की चिकित्सकीय जांच की। .'अर्बन इस्टेट, जीन्द, पुलिस स्टेशन, सिटी जीन्द। उन्होंने कहा कि लड़की को मल्कियत सिंह, सब इंस्पेक्टर और बलविंदर कौर, कांस्टेबल नंबर 606 द्वारा लाया गया था। उन्होंने कहा है कि मरीज जागरूक और सहयोगी थी। उसका बीपी 110/70 मिमी था। उसकी नाड़ी नियमित रूप से 80 प्रति मिनट थी। शरीर पर कहीं कोई चोट नहीं थी. उसकी ऊंचाई 5'-5" थी। उसके मुंह में 28 दांत मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय जांच में उन्होंने पाया कि लड़की के स्तन आंशिक रूप से द्विपक्षीय रूप से समान रूप से विकसित थे और कोई बाहरी चोट नहीं थी। हाइमन टूट गया था। वहां हाइमन के पिछले हिस्से में आंसू थे और अन्य छोटे-छोटे आंसू भी मौजूद थे। कोई ताज़ा रक्तस्राव नहीं था। प्रीवैजिनन जांच में, योनि में दो अंगुलियां शामिल थीं, लेकिन कठिनाई के साथ और मरीज को जांच के दौरान दर्द हुआ। दो योनि स्वैब लिए गए और सील कर दिए गए। बाल भी काटे गए और सील कर दिए गए। जघन बाल उलझे हुए नहीं थे। एक सलवार, एक कुर्ता और एक अंडरवियर पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए और सील कर दिए गए। तीनों चीजें पुलिस को सौंप दी गईं। उम्र की पुष्टि के लिए मरीज को रेडियोलॉजी विभाग में भेजा गया सलवार, कुर्ता और अंडरवियर को मेमो Ex.P1 से P3 के माध्यम से कब्जे में ले लिया गया, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया। जिरह में, इस गवाह ने कहा कि उसने रासायनिक परीक्षकों की रिपोर्ट Ex.DA देखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भी प्रदर्शन पर वीर्य का दाग नहीं पाया गया। डॉक्टर ने आगे कहा कि उम्र और माता-पिता की जानकारी मरीज ने खुद दी थी। जांच के समय किसी ने उसकी पहचान नहीं की। तथापि, डॉक्टर ने एमएलआर में पहचान के निशान नोट कर लिए थे। उसने जांच की गई लड़की के हस्ताक्षर भी ले लिए थे, जिन्हें डॉक्टर ने

विधिवत सत्यापित किया था। डॉक्टर ने कहा कि "मैं यह नहीं कह सकता कि मरीज की उम्र 16 साल से अधिक हो सकती है या नहीं क्योंकि मैंने मामला रेडियोलॉजी विभाग को भेज दिया था। मेरे द्वारा जांच करने से पहले वह संभोग में लिप्त रही थी, जैसा कि उससे पता चला है।" एमएलआर में मेरे द्वारा नोट की गई स्थिति उन्होंने आगे बताया कि, रेडियोलॉजिस्ट मार्क-ए की रिपोर्ट के अनुसार, लड़की की उम्र 16 साल छह महीने से 17 साल के बीच दर्ज की गई है।"

8. पीडब्लू4, वीर भान, एमएचसी ने अपना हलफनामा पूर्व पीई प्रस्तुत किया। दिनांक 29.11.1994 को अपने शपथ पत्र में वीर भान ने कहा है कि दिनांक 13.04.1994 को वर्तमान मामले के संबंध में तीन पार्सल पुलिस स्टेशन के मालखाने में जमा किये गये थे। 21.04.1994 को, विधिवत सील किए गए सभी तीन पार्सल को मालखाने से बाहर निकाला गया और एफएसएल, मधुबन के पास जमा करने के लिए नंद लाल, कांस्टेबल नंबर 508 को सौंप दिया गया। उनका कहना है कि जब तक पार्सल मालखाने में रहे, उनके साथ न तो उन्होंने कोई छेड़छाड़ की और न ही उन्होंने किसी और को इसमें छेड़छाड़ करने की इजाजत दी। श्रीमती सावित्री देवी, हेड मिस्ट्रेस, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, डिफेंस कॉलोनी, जींद, पीडब्लू5 के रूप में उपस्थित हुईं। उसने लखविंदर कौर का मूल स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र पेश किया है। इस स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट में लखविंदर कौर की जन्मतिथि 02.01.1981 दर्ज है. Ex.PF मूल प्रमाणपत्र की फोटोस्टेट कॉपी है। उसने जिरह में कहा कि प्रमाणपत्र स्कूल के प्रवेश और निकासी रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों पर आधारित है। अनुपस्थित रहने के कारण लखविंदर कौर का नाम स्कूल रजिस्टर से काट दिया गया। जैसा कि रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में अंकित था, उसका नाम 28.02.1991 को काट दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि रजिस्टर में उल्लिखित जन्म तिथि प्रवेश पत्र पर आधारित है जो छात्र के अभिभावक द्वारा जमा किया जाता है। लखविंदर कौर स्वयं पीडब्लू 6 के रूप में गवाह बॉक्स में चली गईं। वह 17.01.1995 को साक्ष्य देती है। उसने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले वह जींद में अर्बन एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में निजी रिहायशी मकानों में स्वीपर का काम करती थी। वह नरेश कुमार, जो एक बैंक मैनेजर है, की कोठी नंबर 1619, अर्बन एस्टेट, जींद में काम करती थी। घटना वाले दिन वह अपना काम करके नरेश कुमार की कोठी से आ रही थी। रास्ते में आरोपी अनिल कुमार उसे मिल गया। उन्होंने उसे कुंदन सिनेमा में हरियाणवी गानों का आनंद लेने के लिए कहा। वह उसके साथ थी. वह उसे अपनी बहन की तरह

मानता था। उसने उसे बस स्टैंड, जींद पर चाय पिलाई। उसे चक्कर आने लगा. फिर आरोपी उसे सफीदों रोड पर पुलिया के पास ले गया। उसकी हालत नाजुक थी. वह होश में नहीं थी. आरोपियों ने उसे खड्डों में ले जाकर धमकाया और उसके साथ दुराचार किया। उसने आगे बताया कि आरोपी ने उसके कपड़े उतार दिए और उसके साथ गलत हरकत की. इसके बाद वह उसे बस स्टैंड, जींद पर ले आया और उसे चाय पिलाई। इसके बाद आरोपी उसे अर्धबेहोशी की हालत में बस से गुड़गांव ले आए। गुड़गांव से भी उसे बहादुरगढ़ के रास्ते सोहाना ले जाया गया। आरोपी उसे अपनी मौसी (बुआ) के घर ले गया। रात में आरोपी उसे बुआ से अलग कमरे में रखता था और उसके कपड़े उतारकर उसके साथ गलत काम करता था। उसने आगे कहा कि वह डर के कारण घटना के बारे में किसी को नहीं बता सकी। एक दिन, जब वे बस स्टैंड-सोहाना पर गुड़गांव के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, उसके पिता और पुलिस वहां आए। उसने आगे कहा कि आरोपी ने उसकी अनुमति के बिना उसके साथ "बुरा कृत्य" किया था। मुझे वापस जीन्द लाया गया। उसकी चिकित्सकीय जांच की गई। जिरह में लड़की ने बताया कि वह दो साल तक स्कूल गई है। उसने स्वीकार किया कि पढ़ाई छोड़ देने के कारण उसका नाम काट दिया गया है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने करीब एक साल छह महीने तक नरेश कुमार के लिए काम किया था. उसने इस बात को भी सही माना कि नरेश कुमार ने उसे सुझाव दिया था कि उसे उसके साथ गोहाना चलना चाहिए क्योंकि उसके जैसी अच्छी लड़की वहां नहीं मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रीति जो कि नरेश कुमार की पत्नी हैं, उन्होंने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार किया. उन्होंने आगे बताया कि उनके घर से नरेश कुमार के घर तक पहुंचने में एक घंटा लगता है. उसका कहना है कि आरोपी उससे केवल उसी दिन मिला था, जब उसे ले जाया गया था। उससे पहले वह उससे कभी नहीं मिला था। वह उससे अर्बन एस्टेट के एक मैदान के पास मिला था। वह सबसे पहले नरेश कुमार के घर गईं और करीब एक घंटे तक काम किया। फिर उसे दूसरे घर में काम करने जाना था लेकिन वह वहां नहीं गई। घटना दिनांक को उसने नरेश कुमार के घर पर एक सूट तैयार किया था जिसे उसे एक शादी में जाने के लिए पहनना था। यह सूट उसे विजय आंटी ने दिया था जिनके घर वह काम करती थी। नरेश कुमार ने उसे अपनी कार में लिफ्ट दी थी और वापस अपने घर लाकर उसे वहीं छोड़ दिया था। उसने पुलिस को वह दुकान बताई थी जहां उसे चाय दी गई थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब उसे चाय दी गई तो वहां कितने लोग बैठे थे। वह मुख्य परीक्षा में ऊपर बताए अनुसार कहानी सुनाती है। वह आगे कहती हैं कि बस स्टैंड के सामने लोगों की भीड़ थी। रजबहा के

किनारे भी लोगों का आना-जाना लगा रहता है। सफीदों रोड पर जाते समय रजबहा के दाहिनी तरफ खाई थी। खाइयाँ लगभग 2/3 फीट गहरी थीं। रजबहा के किनारे जाओ तो गड्ढों में बैठा व्यक्ति नजर नहीं आता। उसने पुलिस को गड्ढे भी दिखाए थे। उसने इस बात से इनकार किया कि थानेदार ने उसे कोर्ट के बाहर पढ़ाया था क्योंकि उसे पूरी घटना याद थी। फिर उसने कहा कि उसने आरोपी ऐल कुमार की कोठी पर 3/4 महीने तक काम किया था और उसके बाद उसे काम से हटा दिया गया था। एक-दो बार देर से जाने के कारण उसे नौकरी से हटा दिया गया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आरोपी के पिता भी हुडा में काम करते थे. उसने बताया कि उसने तीन-चार महीने पहले आरोपी के घर पर काम किया था लेकिन घटना की तारीख से पहले वह आरोपी से कभी नहीं मिली थी। उसने शुरुआत में एक-दो बार आरोपी को देखा था। उस दौरान उसका आरोपियों से कोई संबंध नहीं था. उसने यह भी कहा कि आरोपी की चाची (बुआ) के घर से उस स्थान तक लगभग आधे घंटे का समय लगता है जहां उसे पुलिस ने पकड़ा था। उसने स्वीकार किया कि पढ़ाई छोड़ देने के कारण उसका नाम काट दिया गया है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने करीब एक साल छह महीने तक नरेश कुमार के लिए काम किया था. उसने इस बात को भी सही माना कि नरेश कुमार ने उसे सुझाव दिया था कि उसे उसके साथ गोहाना चलना चाहिए क्योंकि उसके जैसी अच्छी लड़की वहां नहीं मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रीति जो कि नरेश कुमार की पत्नी हैं, उन्होंने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार किया. उन्होंने आगे बताया कि उनके घर से नरेश कुमार के घर तक पहुंचने में एक घंटा लगता है. उसका कहना है कि आरोपी उससे केवल उसी दिन मिला था, जब उसे ले जाया गया था। उससे पहले वह उससे कभी नहीं मिला था। वह उससे अर्बन एस्टेट के एक मैदान के पास मिला था। वह सबसे पहले नरेश कुमार के घर गईं और करीब एक घंटे तक काम किया। फिर उसे दूसरे घर में काम करने जाना था लेकिन वह वहां नहीं गई। घटना दिनांक को उसने नरेश कुमार के घर पर एक सूट तैयार किया था जिसे उसे एक शादी में जाने के लिए पहनना था। यह सूट उसे विजय आंटी ने दिया था जिनके घर वह काम करती थी। नरेश कुमार ने उसे अपनी कार में लिफ्ट दी थी और वापस अपने घर लाकर उसे वहीं छोड़ दिया था। उसने पुलिस को वह दुकान बताई थी जहां उसे चाय दी गई थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब उसे चाय दी गई तो वहां कितने लोग बैठे थे। वह मुख्य परीक्षा में ऊपर बताए अनुसार कहानी सुनाती है। वह आगे कहती हैं कि बस स्टैंड के सामने लोगों की भीड़ थी। रजबहा के किनारे भी लोगों का आना-जाना लगा रहता है। सफीदों रोड पर जाते समय रजबहा के

दाहिनी तरफ खाई थी। खाइयाँ लगभग 2/3 फीट गहरी थीं। रजबहा के किनारे जाओ तो गड्ढों में बैठा व्यक्ति नजर नहीं आता। उसने पुलिस को गड्ढे भी दिखाए थे। उसने इस बात से इनकार किया कि थानेदार ने उसे कोर्ट के बाहर पढ़ाया था क्योंकि उसे पूरी घटना याद थी। फिर उसने कहा कि उसने आरोपी ऐल कुमार की कोठी पर 3/4 महीने तक काम किया था और उसके बाद उसे काम से हटा दिया गया था। एक-दो बार देर से जाने के कारण उसे नौकरी से हटा दिया गया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आरोपी के पिता भी हुडा में काम करते थे. उसने बताया कि उसने तीन-चार महीने पहले आरोपी के घर पर काम किया था लेकिन घटना की तारीख से पहले वह आरोपी से कभी नहीं मिली थी। उसने शुरुआत में एक-दो बार आरोपी को देखा था। उस दौरान उसका आरोपियों से कोई संबंध नहीं था. उसने यह भी कहा कि आरोपी की चाची (बुआ) के घर से उस स्थान तक लगभग आधे घंटे का समय लगता है जहां उसे पुलिस ने पकड़ा था। उसने स्वीकार किया कि पढ़ाई छोड़ देने के कारण उसका नाम काट दिया गया है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने करीब एक साल छह महीने तक नरेश कुमार के लिए काम किया था. उसने इस बात को भी सही माना कि नरेश कुमार ने उसे सुझाव दिया था कि उसे उसके साथ गोहाना चलना चाहिए क्योंकि उसके जैसी अच्छी लड़की वहां नहीं मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रीति जो कि नरेश कुमार की पत्नी हैं, उन्होंने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार किया. उन्होंने आगे बताया कि उनके घर से नरेश कुमार के घर तक पहुंचने में एक घंटा लगता है. उसका कहना है कि आरोपी उससे केवल उसी दिन मिला था, जब उसे ले जाया गया था। उससे पहले वह उससे कभी नहीं मिला था। वह उससे अर्बन एस्टेट के एक मैदान के पास मिला था। वह सबसे पहले नरेश कुमार के घर गईं और करीब एक घंटे तक काम किया। फिर उसे दूसरे घर में काम करने जाना था लेकिन वह वहां नहीं गई। घटना दिनांक को उसने नरेश कुमार के घर पर एक सूट तैयार किया था जिसे उसे एक शादी में जाने के लिए पहनना था। यह सूट उसे विजय आंटी ने दिया था जिनके घर वह काम करती थी। नरेश कुमार ने उसे अपनी कार में लिफ्ट दी थी और वापस अपने घर लाकर उसे वहीं छोड़ दिया था। उसने पुलिस को वह दुकान बताई थी जहां उसे चाय दी गई थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब उसे चाय दी गई तो वहां कितने लोग बैठे थे। वह मुख्य परीक्षा में ऊपर बताए अनुसार कहानी सुनाती है। वह आगे कहती हैं कि बस स्टैंड के सामने लोगों की भीड़ थी। रजबहा के किनारे भी लोगों का आना-जाना लगा रहता है। सफीदों रोड पर जाते समय रजबहा के दाहिनी तरफ खाई थी। खाइयाँ लगभग 2/3 फीट गहरी थीं। रजबहा के किनारे जाओ तो गड्ढों में

बैठा व्यक्ति नजर नहीं आता। उसने पुलिस को गड्ढे भी दिखाए थे। उसने इस बात से इनकार किया कि थानेदार ने उसे कोर्ट के बाहर पढ़ाया था क्योंकि उसे पूरी घटना याद थी। फिर उसने कहा कि उसने आरोपी ऐल कुमार की कोठी पर 3/4 महीने तक काम किया था और उसके बाद उसे काम से हटा दिया गया था। एक-दो बार देर से जाने के कारण उसे नौकरी से हटा दिया गया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आरोपी के पिता भी हुडा में काम करते थे. उसने बताया कि उसने तीन-चार महीने पहले आरोपी के घर पर काम किया था लेकिन घटना की तारीख से पहले वह आरोपी से कभी नहीं मिली थी। उसने शुरुआत में एक-दो बार आरोपी को देखा था। उस दौरान उसका आरोपियों से कोई संबंध नहीं था. उसने यह भी कहा कि आरोपी की मौसी (बुआ) के घर से उस स्थान तक जहां उसे पुलिस ने पकड़ा था, लगभग आधे घंटे का समय लगता है। उसका कहना है कि आरोपी उससे केवल उसी दिन मिला था, जब उसे ले जाया गया था। उससे पहले वह उससे कभी नहीं मिला था। वह उससे अर्बन एस्टेट के एक मैदान के पास मिला था। वह सबसे पहले नरेश कुमार के घर गईं और करीब एक घंटे तक काम किया। फिर उसे दूसरे घर में काम करने जाना था लेकिन वह वहां नहीं गई। घटना दिनांक को उसने नरेश कुमार के घर पर एक सूट तैयार किया था जिसे उसे एक शादी में जाने के लिए पहनना था। यह सूट उसे विजय आंटी ने दिया था जिनके घर वह काम करती थी। नरेश कुमार ने उसे अपनी कार में लिफ्ट दी थी और वापस अपने घर लाकर उसे वहीं छोड़ दिया था। उसने पुलिस को वह दुकान बताई थी जहां उसे चाय दी गई थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब उसे चाय दी गई तो वहां कितने लोग बैठे थे। वह मुख्य परीक्षा में ऊपर बताए अनुसार कहानी सुनाती है। वह आगे कहती हैं कि बस स्टैंड के सामने लोगों की भीड़ थी। रजबहा के किनारे भी लोगों का आना-जाना लगा रहता है। सफीदों रोड पर जाते समय रजबहा के दाहिनी तरफ खाई थी। खाइयाँ लगभग 2/3 फीट गहरी थीं। रजबहा के किनारे जाओ तो गड्ढों में बैठा व्यक्ति नजर नहीं आता। उसने पुलिस को गड्ढे भी दिखाए थे। उसने इस बात से इनकार किया कि थानेदार ने उसे कोर्ट के बाहर पढ़ाया था क्योंकि उसे पूरी घटना याद थी। फिर उसने कहा कि उसने आरोपी ऐल कुमार की कोठी पर 3/4 महीने तक काम किया था और उसके बाद उसे काम से हटा दिया गया था। एक-दो बार देर से जाने के कारण उसे नौकरी से हटा दिया गया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आरोपी के पिता भी हुडा में काम करते थे. उसने बताया कि उसने तीन-चार महीने पहले आरोपी के घर पर काम किया था लेकिन घटना की तारीख से पहले वह आरोपी से कभी नहीं मिली थी। उसने शुरुआत में एक-दो बार आरोपी को

देखा था। उस दौरान उसका आरोपियों से कोई संबंध नहीं था. उसने यह भी कहा कि आरोपी की चाची (बुआ) के घर से उस स्थान तक लगभग आधे घंटे का समय लगता है जहां उसे पुलिस ने पकड़ा था। उसका कहना है कि आरोपी उससे केवल उसी दिन मिला था, जब उसे ले जाया गया था। उससे पहले वह उससे कभी नहीं मिला था। वह उससे अर्बन एस्टेट के एक मैदान के पास मिला था। वह सबसे पहले नरेश कुमार के घर गईं और करीब एक घंटे तक काम किया। फिर उसे दूसरे घर में काम करने जाना था लेकिन वह वहां नहीं गई। घटना दिनांक को उसने नरेश कुमार के घर पर एक सूट तैयार किया था जिसे उसे एक शादी में जाने के लिए पहनना था। यह सूट उसे विजय आंटी ने दिया था जिनके घर वह काम करती थी। नरेश कुमार ने उसे अपनी कार में लिफ्ट दी थी और वापस अपने घर लाकर उसे वहीं छोड़ दिया था। उसने पुलिस को वह दुकान बताई थी जहां उसे चाय दी गई थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब उसे चाय दी गई तो वहां कितने लोग बैठे थे। वह मुख्य परीक्षा में ऊपर बताए अनुसार कहानी सुनाती है। वह आगे कहती हैं कि बस स्टैंड के सामने लोगों की भीड़ थी। रजबहा के किनारे भी लोगों का आना-जाना लगा रहता है। सफीदों रोड पर जाते समय रजबहा के दाहिनी तरफ खाई थी। खाइयाँ लगभग 2/3 फीट गहरी थीं। रजबहा के किनारे जाओ तो गड्ढों में बैठा व्यक्ति नजर नहीं आता। उसने पुलिस को गड्ढे भी दिखाए थे। उसने इस बात से इनकार किया कि थानेदार ने उसे कोर्ट के बाहर पढ़ाया था क्योंकि उसे पूरी घटना याद थी। फिर उसने कहा कि उसने आरोपी ऐल कुमार की कोठी पर 3/4 महीने तक काम किया था और उसके बाद उसे काम से हटा दिया गया था। एक-दो बार देर से जाने के कारण उसे नौकरी से हटा दिया गया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आरोपी के पिता भी हुडा में काम करते थे. उसने बताया कि उसने तीन-चार महीने पहले आरोपी के घर पर काम किया था लेकिन घटना की तारीख से पहले वह आरोपी से कभी नहीं मिली थी। उसने शुरुआत में एक-दो बार आरोपी को देखा था। उस दौरान उसका आरोपियों से कोई संबंध नहीं था. उसने यह भी कहा कि आरोपी की मौसी (बुआ) के घर से उस स्थान तक जहां उसे पुलिस ने पकड़ा था, लगभग आधे घंटे का समय लगता है। सफीदों रोड पर जाते समय रजबहा के दाहिनी तरफ खाई थी। खाइयाँ लगभग 2/3 फीट गहरी थीं। रजबहा के किनारे जाओ तो गड्ढों में बैठा व्यक्ति नजर नहीं आता। उसने पुलिस को गड्ढे भी दिखाए थे। उसने इस बात से इनकार किया कि थानेदार ने उसे कोर्ट के बाहर पढ़ाया था क्योंकि उसे पूरी घटना याद थी। फिर उसने कहा कि उसने आरोपी ऐल कुमार की कोठी पर 3/4 महीने तक काम किया था और उसके बाद उसे काम से हटा दिया गया था। एक-दो बार देर से जाने

के कारण उसे नौकरी से हटा दिया गया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आरोपी के पिता भी हुडा में काम करते थे. उसने बताया कि उसने तीन-चार महीने पहले आरोपी के घर पर काम किया था लेकिन घटना की तारीख से पहले वह आरोपी से कभी नहीं मिली थी। उसने शुरुआत में एक-दो बार आरोपी को देखा था। उस दौरान उसका आरोपियों से कोई संबंध नहीं था. उसने यह भी कहा कि आरोपी की मौसी (बुआ) के घर से उस स्थान तक जहां उसे पुलिस ने पकड़ा था, लगभग आधे घंटे का समय लगता है। सफीदों रोड पर जाते समय रजबहा के दाहिनी तरफ खाई थी। खाइयाँ लगभग 2/3 फीट गहरी थीं। रजबहा के किनारे जाओ तो गड्ढों में बैठा व्यक्ति नजर नहीं आता। उसने पुलिस को गड्ढे भी दिखाए थे। उसने इस बात से इनकार किया कि थानेदार ने उसे कोर्ट के बाहर पढ़ाया था क्योंकि उसे पूरी घटना याद थी। फिर उसने कहा कि उसने आरोपी ऐल कुमार की कोठी पर 3/4 महीने तक काम किया था और उसके बाद उसे काम से हटा दिया गया था। एक-दो बार देर से जाने के कारण उसे नौकरी से हटा दिया गया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आरोपी के पिता भी हुडा में काम करते थे. उसने बताया कि उसने तीन-चार महीने पहले आरोपी के घर पर काम किया था लेकिन घटना की तारीख से पहले वह आरोपी से कभी नहीं मिली थी। उसने शुरुआत में एक-दो बार आरोपी को देखा था। उस दौरान उसका आरोपियों से कोई संबंध नहीं था. उसने यह भी कहा कि आरोपी की चाची (बुआ) के घर से उस स्थान तक लगभग आधे घंटे का समय लगता है जहां उसे पुलिस ने पकड़ा था।

9. पीडब्लू 7, लड़की के पिता बलकू राम पुत्र सुरता राम ने कहा कि वह अर्बन एस्टेट, जींद में रह रहे हैं। वह हुडा विभाग में कार्यरत हैं। उनकी बेटी लखविंदर कौर की उम्र करीब 16 साल है। वह नरेश कुमार के मकान नंबर 1619 अर्बन एस्टेट, जींद में घरेलू काम करती थी। पहले उनकी बेटी दोपहर के समय घरेलू काम के लिए जाती थी। दिनांक 07.04.1993 को सुबह लगभग 7.00 बजे नरेश कुमार का फोन आने पर वह अपना घरेलू काम करने चली गयी। घरेलू काम करने के बाद वह वापस नहीं आई। उन्होंने बताया कि पूरे दिन उन्होंने अपनी बेटी की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। अगले दिन, उसने पुलिस को एक बयान दिया जो कि Ex.PG है। 14.04.1993 को, वह सब इंस्पेक्टर मल्कियत सिंह के साथ बस-स्टैंड सोहाना पहुंचे और वहां आरोपी को अपनी बेटी के साथ पाया। जिरह में इस गवाह ने कहा कि उसकी भतीजी सुनीता पुत्री सोभा राम ने उसे बताया कि 07.04.1993 को उसने लखविंदर कौर को सेल्स टैक्स ऑफिस के पास नरेश

कुमार के साथ उसकी कार में देखा था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की तलाश के सिलसिले में नरेश कुमार और उनकी पत्नी से संपर्क किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि वह घरेलू काम करने के बाद घर से चली गई है। उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया. उन्होंने आगे कहा है कि यह कहना गलत है कि उनकी बेटी को आरोपी ने नहीं ले जाया था और आरोपी के पिता, जो हुडा में कार्यरत हैं, के साथ उनके तनावपूर्ण संबंधों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी की बुआ का घर उस जगह से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था जहां उनकी बेटी और आरोपियों को पकड़ा गया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने आरोपी को पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी चौथी कक्षा तक पढ़ी है।

10; पीडब्लू8, मल्कियत सिंह, सब इंस्पेक्टर, एईसी, धमतान ने कहा कि 08.04,1993 को उन्हें प्रभारी सिविल लाइन्स, जींद के रूप में तैनात किया गया था। उस दिन, उन्होंने बल्कू राम जो कि एक्स.पीजी है, का बयान दर्ज किया, जिसके आधार पर बीरसाल सिंह, सब इंस्पेक्टर द्वारा औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट एक्स.पीजी/1 दर्ज की गई। उन्होंने आगे कहा कि 13.04.1993 को उन्हें गुप्त सूचना मिली कि लखविंदर कौर और आरोपी अनिल कुमार को सोहाना शहर में घूमते देखा गया था। इसके बाद, वह शिकायतकर्ता बल्कु राम और एक कांस्टेबल के साथ सोहाना शहर पहुंचे। आरोपी लखविंदर कौर और अनिल कुमार बस स्टैंड सोहना पर खड़े मिले। उन्हें उसके द्वारा पकड़ लिया गया। उसने कोर्ट में आरोपी को पहचान लिया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत लखविंदर कौर का बयान दर्ज किया । आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सबसे पहले उन स्थानों का भी दौरा किया जहां लखविदनर कौर के साथ आरोपियों ने कथित तौर पर बलात्कार किया था और लड़की की निशानदेही पर साइट प्लान तैयार किया, जो एक्स.पीएच है जो उनके हाथ का है और जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। लखविंदर कौर की सिविल अस्पताल, जींद में मेडिकल जांच करवाई गई। लड़की के सलवार, कुर्ता और अंडरवियर वाले सीलबंद पार्सल और डॉक्टर द्वारा विधिवत सील किए गए लखविंदर कौर के स्वैब वाले एक अन्य पार्सल को महिला कांस्टेबल बलविडनर कौर द्वारा उनके सामने पेश किया गया। अगले दिन आरोपी की सिविल अस्पताल, जींद से मेडिकल जांच करवाई गई। उन्होंने आगे कहा कि 20.04.1993 को उनके स्थानांतरण पर, मामले का चालान वरयाम सिंह, इंस्पेक्टर/एसएचओ, पुलिस स्टेशन, जींद

द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने वरयाम सिंह के हस्ताक्षरों की पहचान की. जिरह में उसने बताया कि रिपोर्ट एक्स.पीजी उसे दिनांक 08.04.1993 को शाम 5.30 बजे सफीदों बाईपास अर्बन एस्टेट, जीन्द में बल्कू राम ने दर्ज करायी थी। कथन पूर्व. जैसा कि शिकायतकर्ता ने कहा था, पीजी को उसके द्वारा सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया था और उसके द्वारा कुछ भी जोड़ा या छोड़ा नहीं गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि जांच के दौरान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत नरेश कुमार का बयान दर्ज नहीं किया गया था. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सोभिया राम की बेटी सुनीता से सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पूछताछ नहीं की गई और वह जांच में शामिल नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने लड़की यानी एक्स.डी.ए. का बयान सही ढंग से दर्ज किया है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आरोपी निर्दोष है और उसकी जगह नरेश कुमार को झूठा फंसाया गया है, जिसे शुरू में शिकायतकर्ता ने अपराधी के रूप में नामित किया था।

11. अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य समाप्त करने के बाद अभियुक्त का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया. अभियोजन पक्ष की गवाही में उसके खिलाफ आने वाले सभी आपत्तिजनक साक्ष्य उसके सामने रखे गए। उन्होंने कहा कि उनके पिता और लड़की के पिता बल्कु राम जींद में हुडा कार्यालय में कार्यरत थे और उनके संबंध तनावपूर्ण थे। उन्होंने कहा कि जिस नरेश कुमार के यहां लड़की काम करती थी, उसे बचाने के लिए उसे फर्जी फंसाया गया है. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सोहना से गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके पिता उसे वहां से ले आए और पुलिस के सामने पेश किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि गवाह उनके खिलाफ झूठी गवाही दे रहे हैं।

12. बचाव साक्ष्य में, आरोपी ने रविंदर कुमार, नंबर 230, एमसी, पीपी, सिविल लाइन्स, जींद को डीडब्ल्यू1 के रूप में जांचा है। उन्होंने तलब किया गया रिकार्ड कोर्ट में पेश किया है। उन्होंने कहा है कि 09.04.1993 को प्रभारी उपनिरीक्षक मल्कियत सिंह रोजनामचा की प्रविष्टियों के अनुसार दोपहर 1.30 बजे दिल्ली, सोहना और गुड़गांव के लिए रवाना हुए। वह 11.04.1993 को प्रातः 6.00 बजे पुलिस चौकी पर वापस आये। 13.04.1993 को दोपहर 12.35 बजे सब इंस्पेक्टर मल्कियत सिंह, कांस्टेबल सतीश कुमार के साथ रोजनामचा में प्रवेश के अनुसार सोहना और गुड़गांव के लिए रवाना हुए। वह उसी दिन सुबह 11.30 बजे पुलिस चौकी पर लौटे, डॉ. डीपी खरब, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, जींद, डीडब्ल्यू2 के रूप में

गवाह बॉक्स में आए। उन्होंने बताया कि 16.04.1993 को अर्बन एस्टेट, जींद के मकान नंबर 3703 निवासी लखविंदर उर्फ गुड्डी पुत्री बल्कु राम को उसकी उम्र के निर्धारण के लिए एमएलआर नंबर आरजी/1.93 दिनांक 13.4.1993 के तहत रेफर किया गया था। बच्ची के शरीर के विभिन्न जोड़ों का एक्स-रे किया गया। उन्होंने एक्स-रे फिल्में Ex.D1 से Ex.D4 तक साबित कीं। एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जो Ex.DW2/A है. इस रिपोर्ट के मुताबिक रेडियोलॉजिकल तौर पर लड़की की उम्र 16 साल छह महीने से 17 साल के बीच बताई गई है. उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्ट में दी गई उम्र में दोनों तरफ से एक साल का अंतर हो सकता है और यह दो साल नहीं हो सकता।

13. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

14. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्वितीय), जींद श्री दीवान चंद ने आरोपी अनिल कुमार को बरी करते हुए निम्नलिखित कारण बताये हैं:

"11. यह साबित करना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य था कि कथित घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए सबूत पेश किए, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत सुसंगत नहीं हैं। जन्म प्रमाण पत्र Ex.PB में अभियोक्त्री की जन्मतिथि 30.09.1978 दर्ज की गई है जो कि 14 वर्ष 6 महीने बनती है जबकि स्कूल प्रमाणपत्र Ex.PF से पता चलता है कि अभियोक्त्री की जन्म तिथि 2.1.81 दर्ज की गई थी और डॉ. डीपी खरब डीडब्ल्यू2 ने पाया कि उसकी उम्र 16 साल 6 महीने से 17 साल के बीच है। अभियोक्त्री ने 17.1.95 को गवाह बॉक्स में पेश होने के दौरान कथित घटना की तारीख पर अपनी उम्र 14 साल बताई थी। उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियोक्ता के कथित नाबालिग होने को साबित नहीं कर सका। पीडब्लू3 डॉ. रेनू अग्रवाल के बयान से यह स्पष्ट है कि कोई ताजा रक्तस्राव नहीं हुआ था और योनि में दो अंगुलियों को कठिनाई के साथ प्रवेश हुआ था। बाहरी क्षेत्र के अलावा किसी भी स्थान पर कोई रक्तस्राव नहीं हुआ था। मौजूद पाया गया. अभियोक्त्री के कपड़े रासायनिक परीक्षक को भेजे गए जिन्होंने अपनी रिपोर्ट Ex.DA प्रस्तुत की, जिससे पता चलता है कि किसी भी वस्तु पर वीर्य का दाग नहीं पाया गया। पीडब्लू 3 डॉ. रेनू अग्रवाल ने यह भी देखा कि पीड़िता अपनी जांच से पहले संभोग में लिप्त थी, जैसा कि एमएलआर में उसके द्वारा

उल्लिखित स्थिति से पता चलता है। पीडब्लू 6 के रूप में पेश होने के दौरान पीड़िता ने अपने अपहरण और बलात्कार के बारे में घटनाओं का क्रम बताया। आत्मविश्वास प्रेरित नहीं. उसके स्वयं के बयान के अनुसार आरोपी उसे रास्ते में मिला और उसने उसे अपने साथ कुंदन सिनेमा चलने के लिए कहा और वह आसानी से उसके साथ चली गई। उसे बस स्टैंड जींद पर चाय दी गई और कथित तौर पर चाय में कुछ मिलाया गया जिससे वह अर्ध बेहोश हो गई। उपरोक्त तथ्यों को साबित करने के लिए चाय की दुकान से कोई भी व्यक्ति पेश नहीं किया गया। इसके बाद उसे एक जगह पर लाया गया जो पुलिया के पास है जहां उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। यह स्थान भी मोहल्ले के पास ही है, लेकिन कोई आगे नहीं आया। इसके बाद उसे फिर से बस स्टैंड पर लाया गया जहां उसे फिर से चाय दी गई और वह बेहोश हो गई और फिर उसे बहादुरगढ़ और गुड़गांव के रास्ते सोहना लाया गया और फिर वे सोहना में एक साथ रहे और फिर वे बस स्टैंड सोहाना के इंतजार में खड़े थे। बस जब उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। वर्तमान मामले की परिस्थितियों में अभियोक्त्री और अभियुक्त की यात्रा और एक साथ रहना निष्कर्ष की ओर ले जाता है, लेकिन वह बात, यदि कोई हो, अभियोक्त्री की सहमति से ली गई है। बलात्कार किये जाने को दर्शाने के लिए कोई सबूत नहीं है। पीड़िता ने बस इतना कहा कि आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत की। उपरोक्त बयान बलात्कार के तत्व को साबित करने के लिए पर्याप्त दंगा है। वर्तमान मामलों की परिस्थितियों में अभियोक्ता की उम्र के संबंध में असंगत साक्ष्य, उनकी यात्रा और एक साथ रहने को दर्शाने वाली घटनाओं के अनुक्रम के साथ पढ़े जाने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोक्ता ने विवेक की आयु प्राप्त कर ली है और वह वयस्क होने की कगार पर है। और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ कुछ भी नहीं किया गया और उसने आरोपी की कंपनी में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से अपने पिता का घर छोड़ दिया। अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका को लड़की की इच्छा की पूर्ति में सहायता के रूप में माना जा सकता है, लेकिन इसे प्रलोभन या धोखेबाज साधनों के लिए अभियुक्त का कार्य या अति कार्य नहीं माना जा सकता है जैसा कि **वरद राजन बनाम मद्रास राज्य**[1], के मामले में देखा गया था।. इसी आशय का संदर्भ भी दिया जा सकता है **बलदेव बनाम उत्तर प्रदेश**

[1] एआईआर 1965 एससी 942

राज्य[2] , यहां तक कि फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य भी अभियोक्त्री की विनम्रता के साथ छेड़छाड़ के आरोपों को साबित करने के लिए अपर्याप्त है।

15. उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि लड़की की उम्र के संबंध में साक्ष्य को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि यह असंगत है। उन्होंने निम्नलिखित चार आधारों पर बलात्कार के बारे में अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास किया है: -

1. कोई ताज़ा रक्तस्राव न हो और योनि में दो अंगुलियाँ प्रवेश कर गई हों;

2. कि लड़की के कपड़ों पर कोई वीर्य नहीं पाया गया;

3. पीडब्लू 3, डॉ. रेनू अग्रवाल की राय थी कि लड़की ने चिकित्सीय परीक्षण से पहले संभोग किया था;

4. कि अपहरण और बलात्कार से संबंधित घटनाओं का क्रम आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

16. हम अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में उपरोक्त प्रत्येक निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। हम प्रदर्शित करेंगे कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पहुंचाए गए निष्कर्ष अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं।

17. सुप्रीम कोर्ट ने **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह और अन्य**[3] , के मामलों में भी ऐसी ही स्थिति पर विचार किया था । उपरोक्त मामले में निर्धारित कानून के मुख्य प्रस्तावों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है: -

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी, अगर ठीक से बताई जाए तो यौन अपराधों में कोई मायने नहीं रखनी चाहिए।

2. यौन अपराधों के मामलों में पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण है और जब तक ऐसी बाध्यकारी परिस्थितियां न हों कि उसके बयान की पुष्टि की तलाश

---

[2] 1993(1) (अपराध) इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1009
[3] एआईआर1996 एससी 1393।

करना आवश्यक हो, अदालत को दोषी ठहराने के लिए अकेले यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही पर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

3. ऐसे मामलों में, एक नियम के रूप में, उसके बयान पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि की मांग करना, जले पर नमक छिड़कने के समान है।

4. न्यायालय अभियोजन के साक्ष्य की सराहना करते हुए अपनी न्यायिक अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए उसके बयान के कुछ आश्वासन की तलाश कर सकता है, क्योंकि वह एक गवाह है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखती है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए उसके बयान की पुष्टि पर जोर देने का कानून।

5. यौन उत्पीड़न की शिकार महिला का साक्ष्य लगभग घायल गवाह के साक्ष्य के बराबर होता है।

6. यौन अपराध की शिकार महिला के साक्ष्य को बहुत महत्व दिया जाता है, पुष्टि का अभाव के होते हुए भी।

7. बलात्कार के हर मामले में पुष्टिकारक साक्ष्य न्यायिक साख का अनिवार्य घटक नहीं है।

8. ऐसे मामलों में भी, जहां यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ स्वीकार्य सामग्री है कि पीड़िता को संभोग की आदत थी, केवल उन परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं है कि पीड़िता "नैतिक चरित्र खो चुकी" लड़की थी।

9. भले ही किसी दिए गए मामले में अभियोक्ता, पहले अपने यौन व्यवहार में स्वच्छंद रही हो, उसे किसी भी और हर किसी के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करने का अधिकार है क्योंकि वह यौन उत्पीड़न के लिए एक कमजोर वस्तु या शिकार नहीं है। किसी और हर किसी के द्वारा. ऐसे गवाह के खिलाफ अदालतों द्वारा कोई कलंक नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार यह आरोपी है, न कि यौन अपराध की पीड़िता जिस पर अदालत में मुकदमा चल रहा है।

18. गुरमीत सिंह के मामले (सुप्रा) में तथ्य यह थे कि 16 वर्ष से कम उम्र की एक युवा लड़की के साथ उसी गांव के तीन युवकों ने बलात्कार किया था, जहां की वह निवासी थी। उसे यह कहकर शराब पीने के लिए मजबूर किया गया कि यह जूस है। इसके बाद तीनों आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वह 30.3.1984 को दोपहर 12.30 बजे से अगली सुबह तक आरोपी व्यक्तियों के साथ थी जब उसे सुबह 6.00 बजे गांव के स्कूल के पास छोड़ दिया गया। आरोपियों ने दलील दी थी कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। मुकदमा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 की धारा 14 के तहत नामित न्यायालय, श्री आरएल आनंद की अदालत में आयोजित किया गया था। दिनांक 01.06.1985 के निर्णय और आदेश द्वारा सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। चूँकि, यह विशेष न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय था, "अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी। शुरुआती पैराग्राफ में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा है: -

"इस प्रकार, इस अपील में दिया गया फैसला एक परेशान करने वाली और परेशान करने वाली विशेषता प्रस्तुत करता है। यह बलात्कार के मामले में 16 साल से कम उम्र की अभियोक्त्री पर अनुचित कलंक लगाकर, अदालत की ओर से संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। मानव मनोविज्ञान और व्यवहार संबंधी संभावनाएं। अभियोक्ता के साक्ष्य की प्रशंसात्मक क्षमता का आंकन करते समय आंतरिक रूप से गलत दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है।"

19. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वे प्रस्ताव रखे जो ऊपर देखे गए हैं। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने गलत आरोप लगाने की दलील को खारिज कर दिया क्योंकि निराशा की दलील किसी भी भरोसे के लायक नहीं थी। यह देखा गया कि कोई भी पिता इतना नीचे नहीं गिर सकता कि लंबित सिविल मुकदमे के कारण आरोपी के पिता से बदला लेने के उद्देश्य से अपनी अविवाहित नाबालिग बेटी पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के बयान में कुछ छिटपुट वाक्यों को अनावश्यक रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है कि एक गवाह को एक आरोपी ने पीटा था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि यह लगभग अकल्पनीय है कि एक अविवाहित लड़की और उसके माता-पिता छोटे-मोटे झगड़े निपटाने के लिए बलात्कार का झूठा मामला दर्ज कराने के लिए अपनी प्रतिष्ठा और भविष्य को दांव पर लगाने की हद तक चले जाएंगे, जैसा कि आरोप लगाया गया है। जगजीत

सिंह और गुरमित सिंह. विद्वान ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण पर टिप्पणी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के पैराग्राफ 13, 14 और 15 में इस प्रकार कहा है:-"

13. ट्रायल कोर्ट ने न केवल अभियोक्ता पर गलती से विश्वास नहीं किया, बल्कि काफी उदारतापूर्वक और अनुचित तरीके से उसे "ढीले संस्कारों वाली" या "इस प्रकार की लड़की" के रूप में भी चित्रित किया।

14. जिस बात ने हमारी न्यायिक चेतना को और अधिक झकझोर दिया है, वह है न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष, जो बिना किसी सबूत के और यहां तक कि इस आशय के अस्वीकृत सुझाव पर भी आधारित नहीं है:

"अधिक संभावना यह है कि (अभियोक्ता) चरित्रहीन लड़की थी, वह अपने माता-पिता को धोखा देना चाहती थी कि वह एक रात के लिए अपने मामा के घर पर रही, लेकिन जो कारण वह सबसे अच्छी तरह जानती है, उसने ऐसा नहीं किया और वह कुछ व्यक्तियों को कंपनी देना पसंद करती थी"।

15. हमें ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण और अभियोक्ता के चरित्र पर कलंक लगाने के प्रति अपनी कड़ी अस्वीकृति व्यक्त करनी चाहिए। इन टिप्पणियों में एक न्यायाधीश से अपेक्षित संयम का अभाव है। इस तरह के कलंक में न केवल यौन उत्पीड़न के अनिच्छुक पीड़ित को अपराधियों के मुकदमे के लिए शिकायतकर्ता को आगे लाने के लिए हतोत्साहित करने की क्षमता होती है, जिससे अपराधी को मुकदमे से भी बचने का मौका देकर समाज को नुकसान उठाना पड़ता है। न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे निष्कर्षों को दर्ज करते समय आत्म-संयम का उपयोग करें, जिसका जहां तक अपराध के पीड़ित के भविष्य का सवाल है, और पूरे समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है - जहां अपराध के पीड़ित को हतोत्साहित किया जाता है, वहीं अपराधी को प्रोत्साहित किया जाता है। और बदले में अपराध को पुरस्कार मिलता है। ऐसे मामलों में भी, वर्तमान मामले के विपरीत, जहां यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ स्वीकार्य सामग्री है कि पीड़िता को संभोग की आदत थी, वहां से ऐसा कोई निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं है कि पीड़िता "ढीले नैतिक चरित्र" की लड़की थी। वह परिस्थिति अकेले. भले ही किसी दिए गए मामले में अभियोक्ता, पहले अपने यौन व्यवहार में स्वच्छंद रही हो, उसे खुद को किसी और सभी के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करने का अधिकार है क्योंकि वह किसी के द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार होने के लिए एक

कमजोर वस्तु या शिकार नहीं है। और सभी। ऐसे गवाह के खिलाफ अदालतों द्वारा कोई कलंक नहीं लगाया जाना चाहिए, जैसा कि वर्तमान मामले में लगाया गया है, क्योंकि आखिरकार यह आरोपी है, न कि यौन अपराध की पीड़िता जिस पर अदालत में मुकदमा चल रहा है।"

20. फैसले के पैराग्राफ 16 में, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा: -

"16. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हम पाते हैं कि अभियोक्त्री ने सच्चा बयान दिया है और अभियोजन पक्ष ने हर उचित संदेह से परे उत्तरदाताओं के खिलाफ मामला स्थापित किया है। ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से उन्हें बरी करने में गलती की। उन्हें। ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्य की सराहना न केवल अनुचित बल्कि विकृत है। ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अस्थिर हैं और मामले के स्थापित तथ्यों और परिस्थितियों में, इसके द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण नहीं है। .....

21. सामान्यतः महिलाओं के विरुद्ध अपराध और विशेष रूप से बलात्कार में वृद्धि के संबंध में चिंता व्यक्त करना। निर्णय के पैराग्राफ 20 में माननीय ए.एस. आनंद, जे. ने इस प्रकार टिप्पणी की है:-

"हाल ही में, सामान्य रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध और विशेष रूप से बलात्कार में वृद्धि हो रही है। यह एक विडंबना है कि जब हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का जश्न मना रहे हैं, हम उनके सम्मान के लिए बहुत कम या कोई चिंता नहीं दिखाते हैं। यह दृष्टिकोण पर दुखद प्रतिबिंब है यौन अपराधों के पीड़ितों की मानवीय गरिमा का। हमें याद रखना चाहिए कि एक बलात्कारी न केवल पीड़िता की गोपनीयता और व्यक्तिगत अखंडता का उल्लंघन करता है, बल्कि इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से गंभीर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नुकसान भी पहुंचाता है। बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं है - यह है अक्सर पीड़िता के संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए विनाशकारी होता है। एक हत्यारा अपने पीड़ित के भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है, एक बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को अपमानित करता है। इसलिए, बलात्कार के आरोप में किसी आरोपी पर मुकदमा चलाते समय अदालतें एक बड़ी जिम्मेदारी निभाती हैं। वे ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाया जाना चाहिए। अदालतों को किसी मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोक्त्री के बयान

में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो घातक प्रकृति के नहीं हैं, अन्यथा विश्वसनीय को खारिज कर देना चाहिए। यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य आत्मविश्वास जगाता है। भौतिक विवरण में उसके बयान की पुष्टि की मांग किए बिना इस पर भरोसा किया जाना चाहिए।

22. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने **महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन** [4], के मामले में अभियोक्त्री के बयान की पुष्टि के संबंध में कानूनी स्थिति का सारांश दिया था। अहमदी जे. ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए निम्नानुसार कहा:-

"15. सबसे पहले यह बताना आवश्यक है कि यौन-अपराधों में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य, विशेष रूप से पीड़िता के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। यह आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की पुष्टि की जानी चाहिए इससे पहले कि अदालत उसकी गवाही पर दोषसिद्धि का आधार बनाए, भौतिक विवरण दें? क्या विवेक का नियम यह मांग करता है कि दुर्लभ से दुर्लभतम को छोड़कर सभी मामलों में अदालत को अभियोक्त्री के साक्ष्य पर कार्रवाई करने से पहले पुष्टि की तलाश करनी चाहिए। ..... ।"

16. किसी यौन-अपराध के अभियोक्त्री को किसी सह-अपराधी के बराबर नहीं रखा जा सकता। वह वास्तव में अपराध की शिकार है।.....

17. हम हाल के दिनों में यौन-उल्लंघन के मामलों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से हिरासत में छेड़छाड़ और बलात्कार के मामलों को ध्यान में रखते हुए, इस धारणा को हटाना उचित समझते हैं, यदि यह बनी रहती है, कि एक महिला की गवाही जो दुर्लभतम मामलों को छोड़कर, यौन हिंसा का शिकार होने की पुष्टि आम तौर पर भौतिक विवरणों से की जानी चाहिए। दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों को छोड़कर पुष्टिकरण पर जोर देना उस महिला को, जो दूसरे की वासना का शिकार है, अपराध में सहयोगी के बराबर मानना है और इस तरह नारीत्व का अपमान करना है। किसी महिला को यह बताना कि उसकी दुख भरी कहानी पर तब तक विश्वास नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे भौतिक विवरणों से पुष्ट नहीं किया जाता, जैसा कि किसी अपराध में भागीदार के मामले में होता है, चोट

---

[4] एआईआर 1990 सुप्रीम कोर्ट 658

पर नमक छिड़कने जैसा होगा। हमारा समाज एक रूढ़िवादी समाज है जहां यह यौन व्यवहार की चिंता करता है। हमारा समाज कुछ पश्चिमी और यूरोपीय देशों की तरह अनुज्ञावादी समाज नहीं है। सार्वजनिक जीवन में शालीनता और नैतिकता का हमारा स्तर उन देशों जैसा नहीं है। हालाँकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में नारीत्व के प्रति सम्मान कम हो रहा है और छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक भारतीय महिला को अब विभिन्न रूपों में अपमान सहना पड़ता है, भद्दी टिप्पणियों से लेकर छेड़छाड़ तक, छेड़छाड़ से लेकर बलात्कार तक। सार्वजनिक जीवन में शालीनता और नैतिकता को तभी बढ़ावा और संरक्षित किया जा सकता है जब हम सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटें। ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा अपेक्षित साक्ष्य के मानक में इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे अपराध आम तौर पर गुप्त रूप से किए जाते हैं और अभियोक्त्री के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम ही उपलब्ध होता है। अदालतों को यह भी समझना चाहिए कि आम तौर पर एक महिला, खासकर एक युवा लड़की, अपनी पवित्रता के संबंध में झूठा आरोप लगाकर अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डालेगी।"

23. इससे पहले भी, **भरवाड़ा भोगिनभाई हिरजीभाई बनाम गुजरात राज्य**[5], के मामले में , माननीय एमपी ठक्कर, जे. के शब्दों में, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार देखा था: -

"1. शुरुआत में वह कहना जो हम अंत में कहे बिना नहीं रह सकते: मानवीय अच्छाई की सीमाएं हैं-मानवीय भ्रष्टता की कोई सीमा नहीं है। हालांकि, समय की मांग है कि यह अतिशयोक्तिपूर्ण न हो।

2. समय की मांग है कि कानून को ढाला और विकसित किया जाए ताकि इसे समय की मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनाया जा सके ताकि बुनियादी समस्या का समाधान किया जा सके: "क्या, कब और किस हद तक गवाही की पुष्टि होती है" बलात्कार की पीड़िता पर आरोप स्थापित करना आवश्यक है"। और यह समस्या भारत में महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखती है, जबकि सदियों से उन्हें आदर्श माना जाता है, पूजा की जाती है और यहां तक कि पूजा भी की जाती है, उनका शोषण भी किया गया है और न्याय से भी वंचित रखा गया है - इसलिए भारतीय महिलाओं की

---

[5] एआईआर 1983 सुप्रीम कोर्ट 753

साठ करोड़ चिंतित निगाहें इस पर केंद्रित हैं। इस समस्या पर और उस समस्या का समाधान हम वर्तमान में स्वयं करेंगे"।

7. अब यौन-अपराधों में अभियोक्त्री की गवाही की पुष्टि पर जोर देने की आवश्यकता के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटने का समय आ गया है.....

9. भारतीय परिवेश में एक नियम के रूप में पुष्टि के अभाव में यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही पर कार्रवाई करने से इनकार करना, चोट पर नमक छिड़कना है। बलात्कार या यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली लड़की या महिला के साक्ष्य को संदेह, अविश्वास या आशंका से भरे चश्मे से क्यों देखा जाना चाहिए? ऐसा करना पुरुष प्रधान समाज में पुरुष प्रधानता के आरोप को सही ठहराना है। ....."

10. ……बहुत व्यापक बयान देने या मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के डर के बिना, यह कहा जा सकता है कि भारत में शायद ही कोई लड़की या महिला ऐसे किसी भी कारक के कारण यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाएगी जैसा कि अभी सूचीबद्ध किया गया है। यह कथन आम तौर पर शहरी और ग्रामीण समाज के संदर्भ में सत्य है। यह परिष्कृत, कम परिष्कृत और अपरिष्कृत समाज के संदर्भ में भी काफी हद तक सच है। बहुत ही कम मामलों में एक या दो अपवाद देखने को मिलते हैं और वह भी संभवतः शहरी संभ्रांत लोगों में से। क्योंकि:- (1) भारतीय परंपरा से बंधे गैर-अनुमोदनात्मक समाज में कोई लड़की या महिला यह स्वीकार करने में भी बेहद अनिच्छुक होगी कि उसकी पवित्रता पर असर डालने वाली कोई घटना कभी घटी हो। (2) वह समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाने या अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों सहित समाज द्वारा हेय दृष्टि से देखे जाने के खतरे के प्रति सचेत होगी। (3) उसे पूरी दुनिया का साहस करना होगा। (4) उसे अपने पति और नजदीकी रिश्तेदारों के प्यार और सम्मान को खोने और अपने वैवाहिक घर और खुशियों के बिखरने का खतरा होगा। (5) यदि वह अविवाहित है, तो उसे आशंका होगी कि एक सम्मानित या स्वीकार्य परिवार से उपयुक्त जीवनसाथी के साथ गठबंधन करना मुश्किल होगा, (6) यह लगभग अनिवार्य रूप से और लगभग हमेशा मानसिक यातना और खुद को पीड़ा देगा। . (7) दूसरों द्वारा ताना मारे जाने का डर उसे हमेशा सताता रहेगा। (8) वह इस घटना को दूसरों के साथ जोड़ने में बेहद शर्मिंदगी महसूस करेगी, क्योंकि

वह परंपरावादी समाज में पले-बढ़े होने के कारण शर्म की भावना से अभिभूत थी, जहां आम तौर पर सेक्स वर्जित है। (9) स्वाभाविक प्रवृत्ति यह होगी कि घटना को प्रचारित न किया जाए, ऐसा न हो कि परिवार का नाम और परिवार का सम्मान विवाद में आ जाए। (10) अविवाहित लड़की के माता-पिता और विवाहित महिला के पति और पति के परिवार के सदस्य भी अक्सर परिवार के नाम और परिवार के सम्मान पर सामाजिक कलंक के डर से प्रचार से बचना चाहते हैं। . (11) पीड़िता को उसकी बेगुनाही की परवाह किए बिना खुद को कामुक या किसी तरह से घटना के लिए जिम्मेदार माने जाने का डर। (12) जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ का सामना करने, अदालत का सामना करने, अपराधी के वकील द्वारा जिरह का सामना करने की अनिच्छा और अविश्वास किए जाने का जोखिम एक निवारक के रूप में कार्य करता है।

11. इन कारकों को देखते हुए, पीड़ित और उनके रिश्तेदार अपराधी को सजा दिलाने के लिए उत्सुक नहीं हैं। और जब इन कारकों के सामने अपराध को प्रकाश में लाया जाता है तो एक अंतर्निहित आश्वासन होता है कि आरोप मनगढ़ंत होने के बजाय वास्तविक है। सैद्धांतिक तौर पर यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति का साक्ष्य एक घायल गवाह के साक्ष्य के बराबर होता है। जिस तरह एक गवाह जिसे चोट लगी है (जिसे दिखाया नहीं गया है या माना जाता है कि यह उसने खुद को पहुंचाया है) वह इस अर्थ में सबसे अच्छा गवाह है कि उसके वास्तविक अपराधी को दोषमुक्त करने की संभावना कम से कम है, उसी तरह यौन अपराध के शिकार व्यक्ति का साक्ष्य भी इसका हकदार है। भारी वजन के बावजूद, पुष्टि का अभाव। और जबकि शारीरिक हमले के मामलों में एक स्वतंत्र गवाह के चश्मदीद गवाह के बयान के रूप में पुष्टि अक्सर सामने आ सकती है, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यौन अपराधों में ऐसे सबूत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए पश्चिमी दुनिया में न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियमों से प्रेरणा लेते हुए पुष्टि पर जोर देना चोट पर नमक छिड़कने जैसा होगा (जिनके प्रति समर्पण संभवतः औपनिवेशिक खुमारी के कारण एक आदत बन गई है। इसलिए, हमारी राय है) कि यदि पीड़ित का साक्ष्य किसी बुनियादी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, और "संभावना-कारक" इसे विश्वसनीयता के अयोग्य नहीं बनाता है, तो एक सामान्य नियम के रूप में, चिकित्सा साक्ष्य के अलावा पुष्टि पर जोर देने का कोई कारण नहीं है, जहां मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित योग्यताओं के अधीन चिकित्सा साक्ष्य आने की उम्मीद की जा सकती है: जब कोई महिला वयस्क हो चुकी हो, आपत्तिजनक स्थिति में पाई

जाती है और उसके पकड़े जाने की संभावना है, तो पुष्टि पर जोर दिया जा सकता है। आत्म-संरक्षण की प्रवृत्ति के कारण या जब "संभावना-कारक" धुन से बाहर पाया जाता है, तो ऐसा आरोप लगाया जाता है।

24. वर्तमान मामले में 13.05.1995 को श्री दीवान चंद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्वितीय), जींद द्वारा फैसला सुनाए जाने के समय यह कानून था। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा इस सब को नजरअंदाज कर दिया गया। **गुरमित सिंह के मामले (सुप्रा)** में विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई त्रुटि को वर्तमान मामले में विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दोहराया गया था। ट्रायल के संचालन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियाँ और **गुरमीत सिंह के मामले (सुप्रा)** में ट्रायल कोर्ट द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ऊपर देखा गया है। हमारी राय है कि वर्तमान मामले में विद्वान ट्रायल कोर्ट का फैसला भी उस दर्दनाक अनुभव और शत्रुतापूर्ण माहौल को पूरी तरह से नजरअंदाज करके संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है, जिसका सामना यौन उत्पीड़न या बलात्कार की पीड़िता को अदालत में गवाही देते समय करना पड़ता है। **हिरजीभाई के मामले (सुप्रा)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिदृश्य को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिनाए गए कारकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। **श्री बोधिसत्व गौतम बनाम मिस सुभ्रा चक्रवर्ती**[6] , के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बलात्कार पीड़िता के डर के कारकों को दोहराया गया था, एस सगीर अहमद, जे. ने बेंच के लिए बोलते हुए इस प्रकार कहा: -

"10. इस प्रकार बलात्कार केवल एक महिला (पीड़िता) के खिलाफ अपराध नहीं है, यह पूरे समाज के खिलाफ अपराध है। यह एक महिला के पूरे मनोविज्ञान को नष्ट कर देता है और उसे गहरे भावनात्मक संकट में धकेल देता है। यह केवल उसके द्वारा किया जाता है दृढ़ इच्छाशक्ति की वजह से वह उस समाज में अपना पुनर्वास कर पाती है, जो बलात्कार के बारे में पता चलने पर उसे उपहास और तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। इसलिए, बलात्कार सबसे अधिक घृणित अपराध है। यह बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ भी अपराध है। यह पीड़िता के सबसे प्रिय मौलिक अधिकारों, अर्थात् अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। कई नारीवादियों और मनोचिकित्सकों के लिए, बलात्कार महिलाओं को नीचा दिखाने और अपमानित करने के उद्देश्य से किए गए आक्रामक कृत्य से कम

---

[6] एआईआर 1996 सुप्रीम कोर्ट 922

यौन अपराध है। बलात्कार कानून ऐसा करते हैं दुर्भाग्य से, वे मामले के सामाजिक पहलू का ध्यान नहीं रखते हैं और कई मामलों में अयोग्य हैं:।

25. हाल ही में, निर्णयों की एक श्रृंखला में, सर्वोच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायाधीशों की आवश्यकता पर बल दिया है। **कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णप्पा**[7] , के मामले में , डॉ. एएस आनंद, सीजे ने फैसले के पैराग्राफ 15 में इस प्रकार देखा है: -

"15. हमारी राय में, एक सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायाधीश, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में जटिल अपवादों और प्रावधानों वाले दंडात्मक प्रावधानों की लंबी धाराओं की तुलना में एक बेहतर वैधानिक कवच है"।

26. **विश्वेश्वरन बनाम राज्य प्रतिनिधि एसडीएम**[8], के मामले में, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति वाईके सभरवाल ने इस प्रकार कहा है: -

"12. इससे पहले कि हम अपीलकर्ता के खिलाफ मामले को साबित करने और उचित संदेह से परे उसकी पहचान स्थापित करने वाली परिस्थितियों पर ध्यान दें; यह ध्यान में रखना होगा कि ऐसे मामलों में न्यायालयों द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण अलग-अलग होने चाहिए। मामलों की आवश्यकता है अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ निपटा जाना चाहिए। बलात्कार के आरोप में किसी आरोपी पर मुकदमा चलाते समय अदालतों को अधिक जिम्मेदारी दिखानी होगी। ऐसे मामलों में, व्यापक संभावनाओं की जांच की जानी चाहिए और अदालतों को छोटे-मोटे विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। पर्याप्त चरित्र का नहीं। पूरे मामले की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की सराहना की जानी चाहिए, न कि अलगाव में। जमीनी हकीकत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि हर दोषपूर्ण जांच की आवश्यकता है जरूरी नहीं कि परिणाम बरी हो जाए। दोषपूर्ण जांच में, सबूतों का मूल्यांकन करते समय अदालतों द्वारा अतिरिक्त सावधानी बरतने की एकमात्र आवश्यकता होती है। केवल दोषपूर्ण जांच के परिणामस्वरूप

---

[7] एआईआर 2000 सुप्रीम कोर्ट 1470
[8] 2003 एआईआरए ससीडब्ल्यू 2541

आरोपी को बरी करना उचित नहीं होगा। जांच में किसी भी कमी या अनियमितता के कारण जरूरी नहीं कि अभियोजन के मामले को खारिज कर दिया जाए, जब यह अन्यथा साबित हो।"

27. हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की बहुत उत्सुकता और सावधानी से जांच की है। इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने बलात्कार की दुर्भाग्यपूर्ण पीड़िता पूर्व पीबी का जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है। इस जन्म प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 30.09.1978 दर्ज है. इसका मतलब यह होगा कि जिस दिन पीड़िता अपने घर से गायब हुई थी उस दिन उसकी उम्र 14 साल और 7 महीने थी। PW2 द्वारा दिया गया बयान. हाकम सिंह, सांख्यिकीय सहायक, जिन्होंने पीड़िता की उम्र के संबंध में वर्ष 1978 के जन्म रजिस्टर में प्रासंगिक प्रविष्टि प्रस्तुत की थी, को प्रतिवादी द्वारा जिरह में चुनौती नहीं दी गई है। यह भी सुझाव नहीं दिया गया कि Ex.PB में प्रविष्टि गलत है या इसका पीड़िता के जन्म से कोई संबंध नहीं है। इसलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114(2) के तहत एक धारणा उत्पन्न हुई जो निम्नानुसार प्रदान करती है: -

"114. न्यायालय कुछ तथ्यों के अस्तित्व को मान सकता है: - न्यायालय किसी भी तथ्य के अस्तित्व को मान सकता है जिसके घटित होने की संभावना उसे लगती है, प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए। विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में। उदाहरण:

न्यायालय यह मान सकता है:-

(ए बी सी डी)

(ई) कि न्यायिक और आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए गए हैं।

28. चित्रण में सन्निहित नियम (ई) मैक्सिम ओम्निया प्रैसमंटूर राइट एट सोलेमनिटर एससे कृत्यों से प्रवाहित होता है। यानी सभी कार्य सही और नियमित रूप से किए गए माने गए हैं। दूसरे शब्दों में, इसके विपरीत स्पष्ट सबूत के अभाव में, ट्रायल कोर्ट को पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र Ex.P8 पर भरोसा करना चाहिए था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(ई) में निहित चित्रण का सीधा सा मतलब यह है कि यदि कोई आधिकारिक कार्य किया जाना साबित हो जाता है, तो यह

माना जाएगा कि यह नियमित रूप से किया गया है। हमारे उपरोक्त दृष्टिकोण को **महाराजा प्रताप सिंह बहादुर बनाम ठाकुर मनमोहन डे और अन्य**[9] , के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से समर्थन मिलता है।

29. हमारी राय में, विद्वान न्यायालय ने जन्म प्रमाण पत्र Ex.PB में दिए गए पीड़िता की उम्र के स्पष्ट प्रमाण को इस आधार पर खारिज करके कानूनी रूप से एक घातक त्रुटि की है कि यह स्कूल में दर्ज जन्म तिथि के साथ असंगत था। छोड़ने का प्रमाण पत्र Ex.PF और पीड़िता द्वारा PW3 को दी गई उम्र। डॉ. रेनू अग्रवाल। हमारी राय में, इन विसंगतियों का कोई परिणाम नहीं था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(ई) के तहत अनुमान को केवल इसके विपरीत स्पष्ट और ठोस साक्ष्य द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। स्कूल रजिस्टर में पीड़िता की उम्र माता-पिता/अभिभावकों के बयान पर आधारित है। डॉ. रेनू अग्रवाल के समक्ष बयान खुद पीड़िता ने दिया था। उस वक्त उसने अपनी उम्र 16 साल बताई थी. फिर भी कोर्ट में उसने अपनी उम्र 14 साल बताई। ये विसंगतियां तो यही बताती हैं कि पीड़िता सिर्फ एक मासूम बच्ची है. वे Ex.PB में दिए गए उम्र के साक्ष्य को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। डीडब्ल्यू2, डॉ. डीपी खरब, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, जींद ने कहा कि रेडियोलॉजिकल रूप से पीड़िता की उम्र 16 साल 6 महीने से 17 साल के बीच कही जा सकती है। इस गवाह ने आगे कहा कि रिपोर्ट में दी गई उम्र में दोनों तरफ से एक साल का अंतर हो सकता है। इसलिए, DW2, डॉ. डीपी खरब के अनुसार भी, प्रासंगिक समय पर पीड़िता की उम्र 15 वर्ष 6 महीने हो सकती है। हमारी राय में, उपरोक्त कथन और DW2, डॉ. डीपी खरब द्वारा दी गई रिपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र Ex.PB में दर्ज जन्मतिथि का समर्थन करेगी, न कि इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से अधिक थी। प्रासंगिक समय पर आयु. हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई झिझक नहीं है कि प्रासंगिक समय पर पीड़िता नाबालिग थी।

30. एक बार जब हम उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, तो प्रतिवादी-अनिल कुमार के साथ संभोग के लिए पीड़िता द्वारा दी गई सहमति का सवाल पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत , बलात्कार के अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: -

---

[9] एआईआर 1966 सुप्रीम कोर्ट 1931

हरियाणा राज्य बनाम हरियाणा अनिल कुमार एक और
(एस.एस. निज्जर, जे)

"375:- एक पुरुष को "बलात्कार" करने वाला कहा जाता है, जो इसके बाद छोड़े गए मामले को छोड़कर, निम्नलिखित छह विवरणों में से किसी एक के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियों में एक महिला के साथ संभोग करता है: -

क्सक्सक्स क्सक्सक्स

पांचवां.– उसकी सहमति से, जब ऐसी सहमति देते समय, मन की अस्वस्थता या नशे के कारण या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से किसी मूर्खतापूर्ण या अस्वास्थ्यकर पदार्थ के सेवन के कारण, वह प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है जिस पर वह सहमति देती है।

छठा – जब वह सोलह वर्ष से कम उम्र की हो तो उसकी सहमति से या उसके बिना।

31. उपरोक्त धारा के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रतिवादी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (छठवीं) के तहत परिभाषित बलात्कार का अपराध किया है । भले ही यह मान लिया जाए कि पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से अधिक थी, तब भी प्रतिवादी ने बलात्कार का अपराध किया है क्योंकि धारा 375 (पांचवां) के तहत सहमति रद्द हो जाएगी।

32. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने, हमारी राय में, गलत माना कि "अभियोक्ता द्वारा उसके अपहरण और बलात्कार के संबंध में पीडब्लू 6 के रूप में पेश होने के दौरान बताई गई घटनाओं का क्रम आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है"। पीड़िता की गवाही में यह बात सामने आई है कि जिस वक्त उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उस वक्त उसे बेहोश किया गया था। यह भी साक्ष्य में आया है कि जब प्रतिवादी की चाची (बुआ) के घर पर उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया तो उसे धमकी दी गई थी। पीड़िता के बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है. गवाह बॉक्स में उसके बयान से पता चलता है कि वह प्रतिवादी की वासना के आगे झुक गई, क्योंकि उसे बेहोश किया गया था और धमकी दी गई थी। उसे उसकी मौसी के घर में एक अलग

कमरे में रखा गया और हर रात उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया। लेकिन डर के कारण उसने यह कहानी किसी को नहीं बताई। ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि लड़की बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से आई थी। वह अनपढ़ थी. उसने साक्ष्य में कहा था कि वह दो साल तक स्कूल गई थी। अनुपस्थिति के कारण विद्यालय के रजिस्टर से उसका नाम काट दिया गया। प्रतिवादी ने उसे अच्छा समय बिताने के बहाने फुसलाया। हमारी राय है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त सभी कारकों को नजरअंदाज करके, इस निष्कर्ष पर पहुंचकर कि पीड़ित के साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं, कानूनी गलती की है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य के केवल नकारात्मक पहलुओं को गलत बताया है। इस तथ्य पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था कि कोई ताज़ा रक्तस्राव नहीं हुआ था और योनि ने दो अंगुलियों को स्वीकार किया था ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि पीड़िता ने संभोग के लिए सहमति दी थी। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा उल्लिखित सभी कारक इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पीड़िता ने पीडब्लू 3 द्वारा उसकी मेडिकल जांच से पहले संभोग किया है। डॉ. रेनू अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट ने गुरमीत सिंह के मामले (सुप्रा) में कहा है कि केवल इसलिए कि रिकॉर्ड पर सबूत है कि पीड़िता को संभोग की आदत थी, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसने बलात्कारी के साथ संभोग के लिए सहमति दी होगी। हमारी राय में, विद्वान ट्रायल कोर्ट का यह मानना पूरी तरह से अनुचित था कि पीड़िता की सहमति होनी चाहिए क्योंकि वह पहले संभोग में शामिल हुई थी। इस तरह के मिथक को उन न्यायाधीशों के मानस से स्थायी रूप से नष्ट करने की जरूरत है, जिन्हें यौन अपराध/हमले/बलात्कार से संबंधित मामलों में सुनवाई करने का बहुत ही नाजुक काम सौंपा गया है। इतने व्यापक प्रस्ताव को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि संभोग की आदी किसी भी परिपक्व महिला के साथ बलात्कार नहीं किया जा सकेगा। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की सराहना करते समय, न्यायालय को इस तथ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए था कि पीड़िता ने घटनाओं को वैसे ही बताया था जैसे वे घटित हुई थीं। उसके साक्ष्यों में शायद ही कोई विसंगतियाँ थीं। लड़की पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था. दूसरी ओर प्रतिवादी ने झूठे निहितार्थ की दलील दी। उन्होंने कहा कि पीड़िता के पिता और उसके पिता एक ही प्रतिष्ठान में काम करते थे। उन्होंने कहा कि क्योंकि माता-पिता के बीच मतभेद थे, उसे झूठा फंसाया गया

था. इस तरह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरमीत सिंह के मामले (सुप्रा) में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया था। हिरजीभाई के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि एक बलात्कार पीड़िता घटना को स्वीकार करने में भी बेहद अनिच्छुक है। वर्तमान मामले में, पीड़िता के पिता शुरू में पुलिस के पास गए और उन्हें संदेह हुआ कि उनकी बेटी का नरेश कुमार ने अपहरण कर लिया है। इसलिए, उन्होंने बयान दिया कि उनकी बेटी का नरेश कुमार ने अपहरण कर लिया है। पिता ने प्रारंभिक बयान उन तथ्यों के आधार पर दिया जो उन्हें ज्ञात थे। चूँकि लड़की नरेश कुमार के घर में काम करती थी, इसलिए उसे संदेह था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। घटनाओं का वास्तविक क्रम तब ज्ञात हुआ जब लड़की को प्रतिवादी के पास से बरामद किया गया। इसलिए नरेश कुमार के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई. प्रतिवादी के खिलाफ मामला बलात्कार की पीड़िता के बयान पर आधारित है। पीड़िता ने अपनी गवाही में साफ कहा कि वह नरेश कुमार के घर में काम करती थी. उनका तबादला गोहाना हो गया था। नरेश कुमार ने उसे सुझाव दिया था कि उसे उनके साथ गोहाना चलना चाहिए क्योंकि उसके जैसी अच्छी लड़की मिलना संभव नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि नरेश कुमार की पत्नी भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थीं. उसके मन में विजय आंटी की भी तारीफ थी जिनके घर वह काम करती थी. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम का सही विवरण दिया है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि पिता और लड़की नरेश कुमार को बचाने की कोशिश क्यों करेंगे। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने झूठे आरोप का कोई सबूत पेश नहीं किया है। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा उठाए गए झूठे निहितार्थ की दलील हताशा से बाहर है। हमें प्रतिवादी-अनिल कुमार द्वारा झूठे आरोप लगाने की दलील को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। नरेश कुमार ने उसे सुझाव दिया था कि उसे उनके साथ गोहाना चलना चाहिए क्योंकि उसके जैसी अच्छी लड़की मिलना संभव नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि नरेश कुमार की पत्नी भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थीं. उसके मन में विजय आंटी की भी तारीफ थी जिनके घर वह काम करती थी. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम का सही विवरण दिया है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि पिता और लड़की नरेश कुमार को बचाने की कोशिश क्यों करेंगे। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने झूठे आरोप का कोई सबूत पेश नहीं किया

है। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा उठाए गए झूठे निहितार्थ की दलील हताशा से बाहर है। हमें प्रतिवादी-अनिल कुमार द्वारा झूठे आरोप लगाने की दलील को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। नरेश कुमार ने उसे सुझाव दिया था कि उसे उनके साथ गोहाना चलना चाहिए क्योंकि उसके जैसी अच्छी लड़की मिलना संभव नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि नरेश कुमार की पत्नी भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थीं. उसके मन में विजय आंटी की भी तारीफ थी जिनके घर वह काम करती थी. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम का सही विवरण दिया है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि पिता और लड़की नरेश कुमार को बचाने की कोशिश क्यों करेंगे। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने झूठे आरोप का कोई सबूत पेश नहीं किया है। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा उठाए गए झूठे निहितार्थ की दलील हताशा से बाहर है। हमें प्रतिवादी-अनिल कुमार द्वारा झूठे आरोप लगाने की दलील को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

33. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की बात पर भी इस आधार पर अविश्वास किया कि चाय की दुकान से किसी भी व्यक्ति को यह साबित करने के लिए पेश नहीं किया गया कि पीड़ित को मिलावटी चाय दी गई थी। विद्वान निचली अदालत ने यह भी माना है कि पुलिया के पास के इलाके से जहां उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था, कोई गवाह पेश नहीं किया गया है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना कि पीड़िता और प्रतिवादी की यात्रा और रहने से यह निष्कर्ष निकलता है कि पीड़िता ने सहमति दी थी। ट्रायल कोर्ट ने माना कि पीड़िता का केवल यह बयान कि प्रतिवादी ने "बुरे कृत्य" किए हैं, बलात्कार का कोई सबूत नहीं है। यह माना जाता है कि यह बयान बलात्कार के तत्वों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि उपरोक्त टिप्पणियाँ **हिरजीभाई के मामले (सुप्रा)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत हैं, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि अनुपस्थिति में यौन उत्पीड़न के शिकार की गवाही पर कार्रवाई करने से इनकार करना एक नियम के रूप में पुष्टिकरण, चोट पर नमक छिड़क रहा है। यह भी माना गया है कि बलात्कार की पीड़िता का साक्ष्य एक घायल गवाह के साक्ष्य के बराबर है और यौन अपराध की पीड़िता के साक्ष्य को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए, इसके बावजूद पुष्टि का अभाव है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस स्पष्ट तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि यौन उत्पीड़न या बलात्कार आमतौर पर गवाहों की उपस्थिति में नहीं किया जाता है। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए

कारणों को साक्ष्य की सराहना के किसी भी ज्ञात सिद्धांत के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

34. पीड़िता की उम्र के बारे में की गई पिछली गलती को जोड़ते हुए, ट्रायल कोर्ट ने उसी निष्कर्ष का उपयोग करते हुए यह माना कि वह "विवेक की उम्र" प्राप्त कर चुकी थी और वयस्कता की उम्र प्राप्त करने के कगार पर थी। ट्रायल कोर्ट का यह भी मानना है कि उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया गया। उसने प्रतिवादी-अभियुक्त की कंपनी में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से अपने पिता का घर छोड़ दिया। उपरोक्त निष्कर्षों के समर्थन में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने **एस. वरदराजन बनाम राज्य मद्रास [10]** के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया। और **बलदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[11]** उच्च न्यायालय 1009 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक निर्णय।

35. हमने वरदराजन के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया है। उस मामले में, युवा लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी जो उसका पड़ोसी था, लड़की के पिता उद्योग और सहयोग विभाग में मद्रास सरकार के सहायक सचिव थे। उसकी दो बेटियां थीं। एक मद्रास मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था जबकि दूसरा बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र था। एथिराज कॉलेज में कक्षा। छोटी लड़की अपीलकर्ता के साथ उसकी कार में गई। उन्होंने अपनी शादी को देखने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय में अपने साथ जाने के लिए एक गवाह को चुना। इसके बाद, अपीलकर्ता और लड़की के बीच विवाह का समझौता हुआ, जिसे पंजीकृत कराया गया। पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी लापता है. इसमें कोई विवाद नहीं है कि लड़की का जन्म 13.11.1942 को हुआ था और 1 अक्टूबर को वह नाबालिग थी, जिस दिन वह लापता हुई थी। अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 361 के तहत अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया , जो इस प्रकार है:

"जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी नाबालिग, यदि वह पुरुष है, या अठारह वर्ष से कम आयु का यदि एक महिला है, या किसी भी विकृत दिमाग वाले व्यक्ति को, ऐसे नाबालिग या विकृत दिमाग वाले व्यक्ति के कानूनी

---

[10] एआईआर 1965 सुप्रीम कोर्ट 942
[11] 1993(1) (अपराध) इलाहाबाद उच्च न्यायालय 108

संरक्षक की हिरासत से बाहर ले जाता है या फुसलाता है ऐसे अभिभावक की सहमति ऐसे नाबालिग या व्यक्ति को वैध संरक्षकता से अपहरण करने के लिए कही जाती है।"

36. सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि लड़की को कोई खतरा नहीं है। आगे यह माना गया कि अपीलकर्ता के साथ उसके साथ रहने का तथ्य अपीलकर्ता की पत्नी बनने की उसकी अपनी इच्छा के अनुरूप है। यह भी देखा गया कि लड़की कोई कम उम्र की बच्ची नहीं थी जो अपने बारे में सोचने में असमर्थ हो। वह वयस्क होने की कगार पर थी और यह जानने में सक्षम थी कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

"... वह अशिक्षित या अपरिष्कृत गाँव की लड़की नहीं थी, बल्कि एक वरिष्ठ कॉलेज की छात्रा थी, जिसने शायद अपना सारा जीवन एक आधुनिक शहर में बिताया था और इस प्रकार वह अपने बारे में सोचने और अपने दम पर कार्य करने में शायद एक अशिक्षित लड़की की तुलना में कहीं अधिक सक्षम थी। ग्रामीण क्षेत्र से।"

37. उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे मामले से निपट रहा था जहां तथ्य और परिस्थितियां वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पूरी तरह से अलग थीं। उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त "विवेक की आयु" शब्द वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। हम गरीबी में जी रही एक अशिक्षित और अपरिष्कृत लड़की से निपट रहे हैं। उसके चरित्र की सादगी और शालीनता तब स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है जब वह बलात्कार के कृत्य को "बुरे कृत्य" के रूप में वर्णित करती है। हमारी राय है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट का निर्णय पूरी तरह से दिमाग के गैर-प्रयोग से ग्रस्त है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को बिना किसी ठोस कारण के खारिज कर दिया गया है। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाले गए निष्कर्ष विकृत हैं। अर्जित ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए कोई भी निष्कर्ष टिकाऊ नहीं हैं। हमारी राय है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। राज्य की वर्तमान अपील स्वीकार कर ली गई है। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने को दर्ज किया गया है। प्रतिवादी-अनिल कुमार को अलग रखा गया है। प्रतिवादी-अनिल कुमार को आईपीसी की धारा 361 , 366 और 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

38. प्रतिवादी-दोषी अनिल कुमार पुत्र किशन लाल अरोड़ा, निवासी मकान नंबर 372, एचबी कॉलोनी, जींद को 5.9.2003 के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 361 , 366 और 376 के तहत गैर-जमानती वारंट के माध्यम से तलब किया जाए।

39. दोषी को सजा की मात्रा पर सुनवाई के लिए उपरोक्त तारीख तय करें। एसडी/-एसएस ग्रेवाल, जे.

दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 का आदेश

अपीलकर्ता की ओर से सुश्री पालिका मोंगा, ए.ए.जी., हरियाणा।

अनिल कुमार - प्रतिवादी दोषी और राकेश नागपाल, वकील, अभियुक्त- प्रतिवादी।

40. 11 जुलाई, 2003 के निर्णय द्वारा, हमने अनिल कुमार, प्रतिवादी को भारतीय दंड संहिता की धारा 361, 366 और 376 के तहत दोषी ठहराया था।

41. दोषी अनिल कुमार को हिरासत में अदालत में पेश किया गया।

42. हमने सजा की अवधि पर पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है।

43. श्री नागपाल ने कहा है कि सजा के मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए क्योंकि दोषी- प्रतिवादी पहला अपराधी है। आपराधिक कार्यवाही लंबित रहने के दौरान दोषी ने शादी कर ली। उनकी एक पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं, दोनों लड़के, क्रमशः 7 और 4 साल के हैं। वह एक गरीब आदमी है। वह फल और सब्जियां बेचकर अपना जीवन यापन करता है। वह एक अनपढ़ आदमी है और इसलिए, उसके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता से अनजान था। प्रतिवादी के वकील के प्रति उदारता की दलील के समर्थन में - दोषी ने **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मैंगो राम**[12] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया है। विद्वान वकील ने फैसले के पैराग्राफ 16 में निहित सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर विशेष जोर दिया है, जो निम्नानुसार हैं।....

> "16. पूर्वगामी निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए हम विद्वान सत्र न्यायाधीश के निष्कर्षों को उलट देते हैं जिनकी पुष्टि एकल न्यायाधीश द्वारा की गई थी और पाया कि आरोपी धारा 376 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। सजा के संबंध में, हम इस कारण से नरम दृष्टिकोण

[12] 2000(3) आरसीआर (आपराधिक) 752

> अपनाते हैं कि अभियोक्ता और अभियुक्त संबंधित हैं, वे दोनों किशोर थे जिनकी उम्र में लगभग 2-3 साल का अंतर था। दोनों अपरिपक्व और युवा थे। साक्ष्य अभियोक्ता के शरीर के किसी भी हिस्से पर हिंसा के कोई निशान नहीं दर्शाता है। यह घटना 1993 की है। समय बीतने के बाद बरी होने के बाद, 'दोनों परिवारों के सदस्यों ने इस घटना के कारण उत्पन्न होने पर अपनी साजिश को दफन कर दिया होगा। प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि इस दूरी पर हिरासत में सजा के लिए एक और आदेश ग्रामीण जीवन में सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दे सकता है और केवल गुस्से की लपटों को फिर से जगाने में मदद कर सकता है जो निकट रिश्तेदारों के बीच इतने लंबे समय से सुलग रहा है। इन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि आरोपी द्वारा सुनाई गई सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी और हम तदनुसार करते हैं।

44. हालांकि, राज्य की वकील सुश्री मोंगा ने कहा कि बलात्कार के मामलों में, विशेष रूप से जहां पीड़िता नाबालिग है, अदालत को कोई नरमी नहीं दिखानी चाहिए, जब तक कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में निर्धारित न्यूनतम सजा से विचलन न हो। उपरोक्त निवेदन के समर्थन में, विद्वान वकील ने **राजस्थान राज्य बनाम औम प्रकाश**,[13] के मामलों में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के तीन फैसलों पर भरोसा किया है; **कर्णाटक राज्य बनाम कृष्णप्पा (सुप्रा)** और **आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम पोलामाला राजू @ राजाराव**,[14]।

45. हमारी सुविचारित राय है कि इस मामले के तथ्य और परिस्थितियां प्रतिवादी-दोषी के प्रति कोई उदारता दिखाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती हैं। प्रतिवादी-दोषी को आईपीसी की धारा 361, 366 और 376 के तहत दोषी ठहराया गया है। आईपीसी की धारा 361 के तहत अपराध करने के लिए सजा आईपीसी की धारा 363 के तहत प्रदान की जाती है। उपर्युक्त धाराएं निम्नानुसार हैं:—

> "361. विधिसम्मत संरक्षकता से अपहरण- जो कोई भी (सोलह) वर्ष से कम आयु के किसी भी नाबालिग को ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना ले जाता है या लुभाता है यदि कोई पुरुष, या (अठारह) वर्ष से कम आयु का कोई महिला, या अस्वस्थ दिमाग का कोई व्यक्ति, ऐसे

---

[13] एआईआर 2002 एससी 2235

[14] 2000(3) आरसीआर (आपराधिक) 732

नाबालिग या अस्वस्थ मन वाले व्यक्ति के वैध अभिभावक के रख-रखाव से बाहर निकलजाता है या लुभाता है। कहा जाता है कि ऐसे नाबालिग या व्यक्ति को वैध संरक्षकता से अपहरण कर लिया जाता है।

ख़ुलासा

.....

363. **अपहरण के लिए दंड** :- जो कोई भी (भारत) से या विधिसम्मत अभिभावक से किसी व्यक्ति का अपहरण करता है, उसे सात वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

366. **अपहरण, अपहरण या महिला को उसके विवाह के लिए मजबूर करना आदि**- जो कोई भी किसी महिला का अपहरण या अपहरण करता है कि उसे मजबूर किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे उसकी इच्छा के खिलाफ किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जाएगा, या यह जानते हुए कि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जा सकता है या बहकाया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा, या यह जानते हुए कि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा, दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा; [और जो कोई भी, इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी के माध्यम से या अधिकार के दुरुपयोग या किसी अन्य तरीके से, महिला को किसी भी स्थान से जाने के लिए प्रेरित करता है, या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि उसे मजबूर किया जाएगा, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए बहकाया जाएगा, वह पूर्वोक्त के रूप में दंडनीय होगा]।

376. **बलात्कार के लिए दंड**:- (1) जो कोई भी, उपधारा (2) द्वारा उपबंधित मामलों को छोड़कर, बलात्कार करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात वर्ष से कम नहीं होगा,

लेकिन जो आजीवन या दस वर्ष तक की अवधि के लिए हो सकता है और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा जब तक कि बलात्कार की गई महिला उसकी अपनी पत्नी न हो और बारह वर्ष से कम न हो। किन मामलों में; उसे दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।:

. बशर्ते कि अदालत, फैसले में उल्लिखित पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए, सात साल से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकती है।

(46) उपर्युक्त धाराओं के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधी को सात वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधी को 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। बलात्कार के लिए दोषी पाए जाने पर, आईपीसी की धारा 376 के तहत सात साल के कारावास की अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की जाती है। अपराधी को आजीवन कारावास या दस साल तक की अवधि के लिए सजा सुनाई जा सकती है। सात साल से कम अवधि के लिए कारावास की सजा केवल निर्णय में उल्लिखित पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए दी जा सकती है।

(47) **कृष्णप्पा के मामले (सुप्रा)** में, सुप्रीम कोर्ट इस प्रश्न पर विचार कर रहा था जो फैसले के पैराग्राफ 1 में पूछा गया था जो निम्नानुसार है।—

"क्या उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 376 आईपीसी के तहत अपराध के लिए प्रतिवादी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई 10 साल के कठोर कारावास की सजा को घटाकर 4 साल कर दिया, जबकि धारा 252, 323, 341 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उसकी दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखा। क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 448 और 506 विशेष अनुमति से उनकी अपील में शामिल एकमात्र सवाल है?

(48) उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सजा को इस आधार पर कम नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त-प्रतिवादी समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित अपरिष्कृत और अनपढ़ नागरिक था। उस मामले में, यह भी दलील दी गई थी कि प्रतिवादी शराब पीने का पुराना आदी था और नशे की हालत में लड़की के साथ

बलात्कार किया था। यह भी दलील दी गई थी कि उनका परिवार जिसमें एक बूढ़ी मां, पत्नी और बच्चे शामिल हैं, उन पर निर्भर थे। इन सभी कारकों को आईपीसी की धारा 376 (2) के परंतुक के सहारा को उचित नहीं ठहराया गया था। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां जो प्रासंगिक हैं, इस प्रकार हैं:—

> "16. इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी पर धारा 376 आईपीसी के तहत अपराध के लिए 10 साल की सजा देने के लिए पर्याप्त और ठोस कारण दिए। उन कारणों ने हमें प्रभावित किया है। ट्रायल कोर्ट इस तथ्य से सही प्रभावित था कि प्रतिवादी 49 वर्ष की आयु का एक विवाहित व्यक्ति था, जिसके अपने बच्चे थे और उसकी यौन वासना का शिकार 7/8 वर्ष की एक निर्दोष असहाय लड़की थी। पीडब्ल्यू -6, डॉ शालिनी देवी द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सा साक्ष्य कृत्य की क्रूर प्रकृति और दर्द और पीड़ा की सीमा को प्रदर्शित करते हैं जो पीड़ित को जबरन क्लिटस के परिणामस्वरूप अपने जननांग पर हुआ हो सकता है। इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने राय दी थी कि कृत्य की क्रूर प्रकृति के कारण, अभियुक्त किसी भी उदारता का हकदार नहीं था।
>
> 17. हालांकि, उच्च न्यायालय सजा के मामले में ट्रायल कोर्ट के तर्क से अलग था और जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण पूरी तरह से असंतोषजनक और यहां तक कि अप्रासंगिक हैं। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उच्च न्यायालय ने कैसे यह मान लिया कि निचली अदालत ने विवेकाधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह के अवलोकन के लिए कोई वारंट नहीं है। उच्च न्यायालय ने सजा को कम करने को इस आधार पर उचित ठहराया कि आरोपी - प्रतिवादी समाज के एक कमजोर वर्ग से संबंधित अपरिष्कृत और अनपढ़ नागरिक था? कि वह "शराब पीने का पुराना आदी" था और उसने "नशे की स्थिति" में लड़की के साथ बलात्कार किया था और उसके परिवार में "एक बूढ़ी मां" शामिल थी। पत्नी और बच्चे", उस पर निर्भर थे। हमारी राय में, इन कारकों ने निर्धारित न्यूनतम से कम सजा देने के लिए आईपीसी की धारा 376 (2) के परंतुक का सहारा लेने को उचित नहीं ठहराया। ये कारण न तो विशेष हैं और न ही पर्याप्त हैं। बलात्कार के मामले में सजा का पैमाना पीड़ित या आरोपी की सामाजिक

स्थिति पर निर्भर नहीं कर सकता है। यह आरोपी के आचरण, यौन उत्पीड़न की शिकार महिला की स्थिति और उम्र और आपराधिक कृत्य की गंभीरता पर निर्भर होना चाहिए। महिलाओं पर हिंसा के अपराधों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। सजा की नीति में आरोपी या पीड़ित की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, धर्म, नस्ल, जाति या पंथ अप्रासंगिक विचार हैं। समाज की रक्षा करना और अपराधी को रोकना कानून का घोषित उद्देश्य है और इसे उचित सजा देकर हासिल करने की आवश्यकता है। सजा देने वाले न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे सजा के प्रश्न से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करें और अपराध की गंभीरता के अनुरूप दंड लागू करने के लिए आगे बढ़ें। अदालतों को इस मामले की तरह कम उम्र की मासूम असहाय लड़कियों के साथ बलात्कार के जघन्य अपराध के मामलों में समाज द्वारा न्याय के लिए जोर से आवाज सुननी चाहिए और उचित सजा देकर जवाब देना चाहिए। अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा को न्यायालय द्वारा उचित सजा देने के माध्यम से प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई असाधारण या कम करने वाली परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं जो प्रतिवादी को निर्धारित न्यूनतम से कम सजा देने को उचित ठहरा सकें। इस तरह के जघन्य अपराध के मामले में दया दिखाना न्याय का उपहास होगा और उदारता की दलील पूरी तरह से गलत है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने "ट्रायल कोर्ट द्वारा उपयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था और फैसले के पहले भाग में पूछे गए प्रश्न का हमारा उत्तर जोरदार है- नहीं।

(49) इसी प्रकार, **औम प्रकाश के मामले (सुप्रा)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:—

पीठ ने कहा, "बच्चों से बलात्कार के मामलों से निपटते समय अदालतों का संवेदनशील रवैया अपनाना जरूरी है। बच्चे के दिमाग पर इस तरह के अपराध का प्रभाव आजीवन होने की संभावना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में बच्चों के लिए एक विशेष सुरक्षोपाय का प्रावधान किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि राज्य विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने

> के लिए अपनी नीति निदेशित करेगा कि बच्चों की कम उम्र का दुरुपयोग न हो और बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने के अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएं और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थिति प्रदान की जाए और बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिकता के विरुद्ध संरक्षित किया जाए। सामग्री परित्याग। वर्तमान मामले में, बलात्कार की घटना के समय पीड़ित आठ साल का एक बच्चा था। आरोपी की उम्र 18 साल है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध का दोषी पाया और सात साल के कठोर कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने 14 नवंबर, 1995 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए उसे बरी कर दिया। राज्य विशेष अवकाश देने के खिलाफ अपील कर रहा है।

(50) पूरे मामले के कानून पर विचार करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों के बलात्कार के मामले सेक्स के लिए विकृत वासना के मामले हैं, जहां यौन सुख की तलाश में निर्दोष बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है। इससे अधिक हठ कुछ नहीं हो सकता। यह मानवता के खिलाफ अपराध है। सुप्रीम कोर्ट की उपरोक्त टिप्पणियों से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी-दोषी के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती है। **पोलामाला राजू के मामले (सुप्रा)** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित शब्दों में यही दृष्टिकोण दोहराया गया है:

> 9. कम से कम, आदेश में कोई कारण नहीं है, बहुत कम "विशेष या पर्याप्त कारण" हैं। वाक्य को बिना उचित दिमाग के यांत्रिक तरीके से कम किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 376 (2) आईपीओ के प्रावधान अदालत के दिमाग में बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे। इस न्यायालय ने समय-समय पर अधीनस्थ न्यायालयों का ध्यान उस संवेदनशीलता की ओर आकषत किया है जो सभी मामलों से निपटने के लिए न्यायालय के लिए अपेक्षित है और विशेष रूप से महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित मामलों में। **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम बेडेम सुंदर राव,**[15] मामले में इस न्यायालय ने कहा:—

---

[15] 1995 (6) एससीसी, 230

उन्होंने कहा, 'हाल के वर्षों में हमने देखा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। ये अपराध समाज की मानवीय गरिमा का अपमान हैं। अत्यधिक अपर्याप्त सजा और विशेष रूप से विधायिका के जनादेश के खिलाफ लागू करना न केवल विशेष रूप से नरसंहार के शिकार और सामान्य रूप से पूरे समाज के साथ अन्याय है, बल्कि कई बार एक अपराधी को प्रोत्साहित भी करता है। सजा देते समय अदालतों का दायित्व है कि वे उचित सजा दें ताकि ऐसे अपराधियों के खिलाफ न्याय के लिए समाज की पुकार का जवाब दिया जा सके। सजा के पैमाने में अदालत के फैसले के माध्यम से अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। अदालतों को उचित सजा देने पर विचार करते समय न केवल अपराधी के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि अपराध के शिकार और बड़े पैमाने पर समाज के अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। 13/14 साल की असहाय लड़की के साथ बलात्कार करने का जघन्य अपराध हमारी न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देता है। अपराध अमानवीय था।

14. न्यायमित्र ने अंत में प्रस्तुत किया कि अपराध की तारीख के बाद बीत चुके लंबे समय के कारण और इस संभावना के कारण कि अभियोक्ता, और प्रतिवादी ने इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान शादी कर ली हो और जीवन में बस गया हो, सजा के बजाय जुर्माना लगाया जाना चाहिए। हम सहमत नहीं हो सकते। ये कारक कार्यपालिका या संवैधानिक प्राधिकारियों द्वारा विचार के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, यदि वे इस तरह से संपर्क किए जाने पर सजा में छूट देने का विकल्प चुनते हैं, जैसा कि **कमल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2000 (2), आरसीआर (सीआरआई), 678: (2000) 4 एससीसी 502, पीआर 25 केस (सुप्रा)** में कहा गया है।, लेकिन जहां तक हमारे न्यायिक विवेक का संबंध है, हमें विधायिका के जनादेश के खिलाफ जाने और इससे कम सजा देने का कोई कारण नहीं मिलता है।

(51) उपरोक्त टिप्पणियां प्रतिवादी-दोषी के वकील की इस दलील को नकारने के लिए पर्याप्त हैं कि वह 1993 से आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहा था। इन्हें अप्रासंगिक विचार माना गया है।

(52) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम प्रतिवादी-दोषी, अनिल कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 361/363 के तहत अपराध के लिए तीन साल के कठोर कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाते हैं। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(53) भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध के लिए, प्रतिवादी-दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। प्रतिवादी-दोषी द्वारा मुकदमे और इस न्यायालय में अपील के दौरान जेल में बिताई गई अवधि, यदि कोई हो, को ऊपर उल्लिखित मूल सजा से अलग किया जाएगा।

(55) प्रतिवादी दोषी को सजा से गुजरने के लिए हिरासत में लेने के लिए आवश्यक वारंट जारी किए जाएंगे।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्ष न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी